

watching us, as something which should not have been. I have no doubt that the Statement of the hon. Minister must have been seen by the entire country. They would be surely taking note of how comprehensive, how exhaustive and how understandingly he has conveyed a point of view. I would request the Members, please interact amongst yourselves outside the House, evolve some kind of a consensus, that there are issues of security, issues of national importance, where we need to exhibit exemplary conduct. Shri Brij Lal, please continue.

GOVERNMENT BILL- *Contd.*

The Boilers Bill, 2024

श्री बृज लाल: सभापति महोदय, आपने मुझे बॉयलर्स एक्ट, 2024 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

(उपसभापति महोदय पीठासीन हुए।)

महोदय, पहला बॉयलर एक्ट 1923 में, यानी 101 वर्ष पहले अंग्रेजों के जमाने में बना था। उसके बाद, वर्ष 2007 में उसमें अमेंडमेंट्स हुए। बॉयलर तमाम इंडस्ट्रीज में प्रयोग होता है। बॉयलर के कई किस्म होते हैं, जैसे- इलेक्ट्रिक बॉयलर, नैचुरल गैस बॉयलर, स्टीम, कंडेंसिंग, कॉम्बो, हॉट वॉटर एंड ऑयल। ये जो तमाम बॉयलर्स हैं, इनमें समय-समय पर जब ऑक्सीजन के संपर्क में, पानी के संपर्क में कोरोजन होता है, तो उनमें एक्सीडेंट्स भी होते हैं। जो पुराना अधिनियम था, उसमें डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मंटेनेंस, इन तमाम चीजों की एडिक्वेट व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने इसके जैसे तमाम पुराने कानूनों को बदलने का संकल्प लिया। आज 2,000 से अधिक कानून बदले जा चुके हैं, जो गुलामी के प्रतीक थे।

उपसभापति महोदय, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बदलने का सबसे बड़ा निर्णय लिया गया। पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस ऐक्ट में से आईपीसी को अंग्रेजों ने 164 वर्ष पहले बनाया था। अभी कल ही माननीय प्रधान मंत्री जी और हमारे गृह मंत्री, अमित शाह जी चंडीगढ़ में थे, जहां क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर लाइव प्रेजेंटेशन हुआ, जिसे उन्होंने देखा और चंडीगढ़ ऐसा पहला केंद्र शासित राज्य बना, जिसने इसके सभी प्रोविजंस को 100 परसेंट लागू किया है। महोदय, उसी क्रम में इस बॉयलर्स बिल को भी लाया गया है।

महोदय, बॉयलर्स का बहुत महत्व है। चाहे शुगर इंडस्ट्री हो, चाहे थर्मल पावर इंडस्ट्री हो, चाहे हमारा घर हो, यह हर जगह इस्तेमाल होता है। हमारे घर में भी जो हीटर और गीजर हैं, ये सब बॉयलर्स हैं। यह जो बिल लाया गया है, उसके महत्व को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि बॉयलर का सबसे बड़ा एक्सीडेंट 27 अप्रैल, 1865 को हुआ था। सुल्ताना नामक एक जहाज था, जिसमें चार बॉयलर्स थे, जो कि स्टीम इंजन से चलते थे। उन चार बॉयलर्स में से तीन बॉयलर्स फट गए, जिसकी वजह से 1,549 लोग मारे गए थे। यह यूएसए की उस समय की सबसे बड़ी घटना थी।

महोदय, अब मैं अपने देश की कुछ घटनाओं के बारे में बताता हूँ। अभी हाल ही में 6 जुलाई, 2024 को एक घटना नंदी कोऑपरेटिव शुगर मिल, बाबलेश्वर में हुई। इसमें भी बॉयलर फटा, लेकिन वर्कर्स सौभाग्यशाली रहे, क्योंकि वे उस समय नाश्ता कर रहे थे और वे कैजुअल्टी से बच गए। हमारे स्टेट उत्तर प्रदेश के जवाहरपुर शुगर मिल, सीतापुर में भी 15 जनवरी, 2004 को एक बॉयलर ब्लास्ट हुआ, जिसमें तीन लोग मारे गए और पांच लोग घायल हुए। निरानी शुगर फैक्टरी, मुधोल, कर्नाटक में भी एक ऐसा ही ब्लास्ट 17 दिसंबर, 2018 को हुआ, जिसमें चार लोग मारे गए और आठ लोग घायल हुए। इसी तरह, डोम्बिवली, जो संभवतः महाराष्ट्र में ही है, यहां पर 24 मई, 2024 को 8 लोग मारे गए और 62 लोग घायल हुए, जब वहां बॉयलर में एक्सप्लोजन हुआ। नेवेली थर्मल पावर प्लांट में भी एक बॉयलर ब्लास्ट हुआ, जिसमें दो लोग मारे गए और 16 लोग घायल हुए। बॉयलर हमारी सबमरीन्स में भी इस्तेमाल होता है और हमारी शिप्स में भी इस्तेमाल होता है। महोदय, इन सबको देखते हुए आज के युग में सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, अच्छी तरह से मैनुफैक्चरिंग हो, इन सबका समय-समय पर इंस्पेक्शन हो। इन सबको ध्यान में रखते हुए यह जो बिल लाया गया है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। इसके कुछ salient points हैं, जिनको मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

महोदय, ब्रिटिशर्स के समय दंड पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने तय किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत जरूरी है। लोगों में किसी प्रकार का भय न हो, वे बिना किसी भय के काम करें। साथ ही, इसमें penalties भी हैं, लेकिन इसमें penalties को ज्यादातर fine के रूप में किया गया है। कोर्ट में जो मुकदमें चलते थे, समय लगता था, वर्कर्स disturb होते थे, फैक्ट्रीज़ बंद होती थीं, फैक्ट्रीज़ का तमाम पैसा लगता था, उसको कम करने के लिए इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं। इस बिल में उन penalties को आसानी से सुलझाया जा सके, इसका प्रावधान किया गया है।

महोदय, इसके कुछ salient features हैं। The Bill specifies penalties for a range of offences including imprisonment up to two years for making changes to boilers without approval or tampering with the safety valve. यह सबसे महत्वपूर्ण offence है, जिसमें सज़ा का प्रोविज़न किया गया है। Provisions have been made for fines up to one lakh rupees for tampering with the registration number or contravening rules and regulations, other penalties up to five thousand rupees for failing to produce required certificates or failing to report an accident, third party inspection, etc. The Bill

proposes independent third party inspecting authority for inspection and certification purposes. This will ensure transparency. कोई यह आरोप नहीं लगाएगा कि वे तो अपने लोग थे, उन्होंने inspection करके दे दिया। इस नए बिल में जो third party का प्रोविजन किया गया है, वह स्वागतयोग्य है। इसमें decriminalization के बारे में जैसा मैंने कहा कि तमाम offences हैं और इसमें तमाम लोग हैं, जो MSME में काम करते हैं, उनमें भय न हो, उनमें डर न हो, इसके लिए इसमें किया है — de-criminalization provisions have been incorporated to benefit boiler users including those in the MSME sector. महोदय, सेफ्टी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि क्या-क्या बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं, The Bill includes specific provisions to ensure the safety of people working inside a boiler. Talking about competent authority, the Bill defines ‘competent authority’ as an institution that can grant certificates to welders for welding boilers and boiler components. उसकी वैल्विंग करने में वैल्वर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन वे competent हों, वे इस लायक हों, वे इस काम में दक्ष हों, उसके लिए भी इसमें competent authority दी गई है, जो इसको देखेगी कि किस तरह से बायलर बना रहे हैं, कहीं ऐसा बायलर न बन जाए कि वह किसी बड़ी घटना का कारण बने। उसके लिए भी इसमें competent authority का प्रावधान किया गया है। महोदय, सेंट्रल बायलर बोर्ड बना है। The Central Government will constitute a Central Boilers Board to regulate the design, manufacture, erection and use of boiler and boiler components. यह बोर्ड इसलिए बना है कि यह देखे कि जो भी बायलर्स बनें, उनमें design कैसी है -- खराब design होगी तो उसके फटने के chances ज्यादा होंगे। उसकी manufacturing कैसे हो रही है, किस तरह का metal इस्तेमाल हो रहा है, क्या उसमें standard metal का प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस तरह से उसका erection हो रहा है, किस तरह से उसको स्थापित किया जा रहा है। सिर्फ बायलर्स ही नहीं, उसके components, उसके पाइप्स को भी बोर्ड देखेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि शिप में जो पाइप होता है, it is called a seamless pipe, क्योंकि seamless pipe नहीं होगा, तो उसके ज़्यादा फटने का डर होता है। इसीलिए seamless pipe का इस्तेमाल होता है और यह किया गया है, ‘The Bill also aims to promote uniformity in the registration and inspection process of boilers’. इस नए बिल में जो पुराने अंग्रेजों के कानून को, गुलामी की निशानी को बदला गया है और जो नया बायलर बिल, 2024 आया है। यह देश के लिए बहुत ही आवश्यक बिल है। यह सेफ्टी, सुरक्षा, मैनुफैक्चर आदि में फायदेमंद साबित होगा। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री उपसभापति: माननीय नीरज डांगी जी।

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक): सर, आपने कहा था ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We are going as per the Business. The next speaker is Shri Neeraj Dangi.

श्री नीरज डांगी (राजस्थान): उपसभापति महोदय, बॉयलर अधिनियम, 1923 को निरस्त करने के लिए बॉयलर विधेयक, 2024 को राज्य सभा में पेश किया गया है। इसमें बताया गया है कि इससे व्यवसाय करने में आसानी होगी, इसलिए इसे तैयार किया गया है। इस विधेयक से एमएसएमई सहित बॉयलर उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा, यह दर्शाया गया है, क्योंकि विधेयक में गैर आपराधिकरण से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है। बॉयलर अधिनियम, 1923 एक संविधान पूर्व अधिनियम है, जो जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित है। यद्यपि, बॉयलर अधिनियम, 1923 को वर्ष, 2007 में भारतीय बॉयलर संशोधन अधिनियम, 2007 द्वारा व्यापक रूप से संशोधित किया गया था, जिसमें स्वतः ही थर्ड पार्टी निरीक्षण, अधिकारियों द्वारा निरीक्षण तथा प्रमाणन की शुरुआत की गई थी। ऐसे में एक और विधेयक की आवश्यकता का निश्चित रूप से विश्लेषण होना आवश्यक है। यद्यपि, 2024 के बिल में, 2007 में जो संशोधन किए गए थे, उस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है, उसका उल्लेख ही नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ कि वह गलत है और यह कहना कि सदियों पुराने अधिनियम को ही संशोधित किया जा रहा है। बॉयलरों के लिए एक विशेष केन्द्रीय कानून की आवश्यकता को समझ पाना बहुत ही कठिन है। भले ही विधेयक सरकार की दृष्टि में एक सुधार का विधेयक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वास्तविकता कुछ और है। यह पुराने को केवल बदलने के लिए जल्दबाजी में किया गया एक प्रयास है और ऐसा कई अन्य विधेयकों के साथ भी हुआ है। विधेयक की जो आवश्यकता रही है, बॉयलर अधिनियम, 1923 को स्टीम बॉयलरों के विस्फोट के खतरों से व्यक्तियों के जीवन की संपत्ति और उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसमें पूरे भारत में बॉयलरों के संचालन और रख-रखाव के दौरान पंजीकरण और निरीक्षण में एकरूपता हासिल करने का प्रयास किया गया था। बॉयलर विधेयक, 2024 में अधिनियम, 2023 के अधिकांश प्रावधान बरकरार रखे गए हैं। परंतु, बॉयलर, जो सिर्फ एक औद्योगिक उपकरण है, उसके डिजाइन, निर्माण और संचालन को रेगुलेट करने के लिए 2024 में एक अलग कानून बनाने का औचित्य समझ में नहीं आया, क्योंकि जो पुराने प्रावधान हैं, उनको इसमें पूरी तरीके से बरकरार रखा गया है। दुनिया में अन्य देशों तथा दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम ने बॉयलरों के ऊपर भी इस तरह के कानून बनाए थे। इसके बाद बॉयलर रेगुलेशन को व्यापक occupational health and safety laws में शामिल करने के लिए इन कानूनों को निरस्त कर दिया गया था। जापान और जर्मनी जैसे देश भी व्यापक व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कानूनों के तहत बॉयलरों को रेगुलेट करते रहे हैं। ऐसे में जहां फैक्ट्रीज, मैनुफैक्चरिंग साइट्स, माइन्स, डॉक्यार्ड और कन्स्ट्रक्शन साइट्स जैसे विभिन्न स्थानों में सुरक्षा संबंधित चिंताएं मौजूद हैं, वे विशिष्ट कानूनों से नियंत्रित होते हैं। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ कि फैक्ट्री अधिनियम, 1948 में मशीनरी, लिफ्ट, विस्फोटक या ज्वलनशील गैस और दबाव संयंत्र जैसी वस्तुओं के लिए सुरक्षा मापदण्डों को निर्दिष्ट करने वाला पूरा अध्याय शामिल है। संसद ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य

और कार्य स्थिति संहिता, 2020 पारित कर दिया है, जो इन कानूनों का स्थान लेगा। हालांकि, यह संहिता अभी तक लागू नहीं की गई है। औद्योगिक सुरक्षा और निरीक्षण लंबे समय से राज्यों के कानूनों और श्रम और भारी उद्योग मंत्रालयों का हिस्सा रहे हैं। इन विभागों के पास अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रियाएं और नियंत्रण तंत्र मौजूद हैं, जो आसानी से औद्योगिक बॉयलरों का निरीक्षण कर सकते हैं। केवल बॉयलरों के लिए एक अतिरिक्त कार्य बल बनाना और एक सेंट्रल कानून लाना, संसाधनों और कर्मियों की बरबादी हो सकता है, खासकर जब मंत्रालयों में सुरक्षा परतों में निरंतर वैकेन्सीज़ रहती हैं, जिन्हें पूर्ण भी नहीं किया जाता है। यह विधेयक सरकार की जिद और पुराने कानूनों को राज्य सरकार को न सौंपने की मंशा भी व्यक्त करता है। यह सरकार के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के वायदों से दूर भागता है। किसी भी क्षेत्र को संपूर्ण रूप से छूट देना या पूरा पॉवर देना क्या उचित है? बॉयलर अधिनियम, 1923 के तहत राज्य सरकारें अधिनियम के कुछ प्रावधानों के तहत आवेदन से कुछ क्षेत्रों को छूट दे सकती हैं। बॉयलर विधेयक, 2024 इन प्रावधानों को बरकरार रखता है। विधेयक का उद्देश्य बॉयलर संचालन में सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। इससे यह सवाल उठता है कि जहां अधिनियम से पूर्ण छूट प्रदान की जाती है, तब क्या वहां पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है?

महोदय, विधेयक राज्य सरकारों को बॉयलर्स को छूट देने का अधिकार देता है। इसमें पहला बिंदु निर्दिष्ट उपयोगों के मामलों के लिए गर्म पानी की आपूर्ति के लिए और इमारत को गर्म करने के लिए है। दूसरा बिंदु आपातकालीन स्थिति का है। इसके अलावा राज्य उन बॉयलर्स को भी छूट दे सकता है, जहां वह तेजी से औद्योगिक विकास का समर्थन करने के उद्देश्य की आवश्यकता की पहचान करता है और बॉयलर की सामग्री, डिजाइन और निर्माण से संतुष्ट है। इस आधार पर छूट के लिए नियमों के तहत शर्तें निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

महोदय, सन 1921 में बनी बॉयलर कानून समिति ने सिफारिश की थी कि बॉयलर कानून पूरे देश में बिना छूट के समान रूप से लागू होना चाहिए। इस समिति की सिफारिशों को ही बॉयलर अधिनियम, 1923 का आधार बनाया गया और इसमें कहा गया था कि छूट के लिए एकमात्र तर्क यह है कि उसे लागू करने में व्यावहारिक चुनौतियां हो सकती हैं, जैसे कि दूरदराज के क्षेत्रों में निषेधात्मक निरीक्षण और लागत। परंतु यह देखा गया है कि ऐसी स्थितियां दुर्लभ हैं और भारत के अधिकांश हिस्सों (उस समय बर्मा को छोड़कर) पर लागू नहीं की जा सकती हैं, इसलिए ऐसे में सरकार के पास असाधारण मामलों में ही किसी क्षेत्र को छूट देने की शक्तियों का प्रस्ताव होना चाहिए।

महोदय, स्ट्रीमलाइनिंग और एफिशिएंसी के समय में हम देखते हैं कि सरकार बॉयलर्स के लिए एक जटिल नौकरशाही तंत्र बनाने के लिए विशिष्ट मंत्रालयों के संस्थानों का एक मिश्रण उपयोग कर रही है। इसकी बजाय सरकार को इन प्रतिक्रियाओं को एकत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि Bureau of Indian Standards (BIS) Section 3(c) of the Bill से संबंधित Heavy Industries vertical को Consumer Affairs मंत्रालय से भारी उद्योग मंत्रालय में स्थानांतरित करना चाहिए।

महोदय, धारा 29 के तहत जुर्माने की मात्रा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि इसमें जेल की सजा की आवश्यकता है। 1,00,000 रुपये का जुर्माना बहुत छोटी राशि है। हमें एक सख्त तंत्र की आवश्यकता है, क्योंकि औद्योगिक बॉयलर्स की जो लागत है, वह इस जुर्माने से भी अधिक होती है। हालांकि, विधेयक की धारा 28 कानून के उल्लंघन के लिए अभियोजन की मांग करती है। यह विधेयक धारा 33 के तहत मुख्य निरीक्षक की अनुमति की आवश्यकता करके अभियोजन को सेंट्रलाइज करती है, केंद्रित करती है। प्रस्तावित बिल या विधेयक में अपील के मैकेनिज्म का अभाव है। सरकार के निर्णय के विरुद्ध न्यायिक सहारा लेने पर रोक है, जो कि गलत है। अधिनियम में कहा गया कि केंद्र सरकार, मुख्य निरीक्षकों, उप मुख्य निरीक्षकों और निरीक्षकों के अंतिम आदेश होंगे और उन पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इस प्रकार एक पीड़ित व्यक्ति को सरकार के फैसले के खिलाफ न्यायिक सहारा नहीं मिलेगा। उसके लिए एकमात्र विकल्प, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय के अंदर ही रिट दायर करनी पड़ेगी। निरीक्षकों के लिए प्रवेश की शक्तियों के विरुद्ध सेफगार्ड और उपाय स्पेसिफाइड नहीं हैं। बॉयलर अधिनियम, 1923 के तहत एक निरीक्षक के पास अधिनियम के अनुपालन की जांच करने और सुरक्षित करने के लिए किसी परिसर में प्रवेश करने की शक्तियां हैं। विधेयक इस प्रावधान को बरकरार रखता है। समान प्रावधानों वाले कानूनों में ऐसे कार्यों के खिलाफ कोई सेफगार्ड या सुरक्षा उपाय होने चाहे, लेकिन ऐसे सुरक्षा उपाय बॉयलर विधेयक, 2024 में नहीं हैं। इसी प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य समिति संहिता, 2020 निरीक्षकों की खोज और जब्ती की शक्तियों के लिए बीएनएसएस के तहत सुरक्षा उपायों को भी लागू करता है। 1959 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चूंकि तलाशी, स्वभाव से अत्यधिक एक मनमानी प्रक्रिया है, इसलिए कानूनों के तहत उन पर कड़ी शर्तें लगाई गई हैं।

महोदय, अनुपालन कम्प्लाइंस का सरलीकरण भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्वप्रमाणन अनुपालन को आसान बनाने और निरीक्षण की आवश्यकता को कम करने के लिए कई राज्यों ने कुछ मामलों में बॉयलर्स के स्वप्रमाणन की अनुमति दी है, जिसमें कर्नाटक, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। गोवा, गुजरात और तमिलनाडु में सभी बॉयलर्स के लिए स्वप्रमाणन शुरू कर दिया गया है। यह विकल्प का उपयोग करके पेश किया गया है। कुछ बॉयलर्स को छूट देने का यह विकल्प राज्य सरकार को अपनी शक्तियों का उपयोग करके वहाँ दिया गया है, जहाँ पर राज्य सरकार ने तेजी से औद्योगीकरण की आवश्यकता की पहचान की है और बॉयलर्स की सामग्री, डिज़ाइन या निर्माण से संतुष्ट है।

यद्यपि उक्त बायलर विधेयक, 2024 छूट देने की इन शक्तियों को बरकरार रखता है, लेकिन यह कानून के तहत एक सुविधा के रूप में स्वप्रमाणन को शामिल नहीं करता है, जो कि आवश्यक है। यह उन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और प्रमाणन के लिए ढांचे को बनाए रखना जारी रखता है, जो या तो राज्य निरीक्षक हैं या कुछ अधिकृत निजी संस्थाएं हैं। ऐसे में अनुमोदन या अप्रूवल के लिए जो समय-सीमा है, उसका भी अभाव देखने को मिल रहा है। वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय ने 2019 में व्यापार करने में आसानी एवं सुधार के लिए अप्रूवल की समय-सीमा को महत्व दिया। केंद्र सरकार द्वारा तैयार बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, 2024 द्वारा राज्यों को सभी

कंप्लायंस के लिए समय-सीमा शुरू करने का सुझाव दिया गया है। यद्यपि, उक्त विधेयक के तहत पंजीकरण, पंजीकरण के नवीनीकरण और अपील जैसी कुछ गतिविधियों के लिए समय-सीमा निर्दिष्ट की गई है, परंतु बायलर्स के निर्माण, निर्माण के लिए निरीक्षण पूरा करने और परिवर्तन व मरम्मत के अनुमोदन के लिए कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, जो की जानी चाहिए थी। विधेयक में विशेष रूप से यह प्रावधान नहीं है। इनके लिए समय-सीमा नियमों और विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट की जाएगी। इस प्रकार से, यह इनके लिए समय-सीमा को प्रशासनिक विवेक पर छोड़ देता है। बायलर्स का अधिनियम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कोई स्थान नहीं रखता है, क्योंकि यह बाहरी कानून है। कॉमर्स मंत्रालय की सूची में टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड आदि हैं और बायलर्स भी है। जैसा कि सामान्य ज्ञान कहता है - बायलर्स का इंस्पेक्शन सेक्शन पाँच और रेगुलेशन लोकल और राज्य में इंडस्ट्रियल और हेवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। सामान्य ज्ञान और विधेयकों की वास्तविकता के बीच यह अंतर औद्योगिक आपदाओं को जन्म देता है, जो इस विधेयक के अंदर बहुत बड़ी खामी है, जिसे निश्चित रूप से पूर्ण किया जाना चाहिए था। हमें इसी अंतर को प्रभावी ढंग से पाटना चाहिए, क्योंकि यह कानून केवल बायलर्स को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि औद्योगिक सुरक्षा के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उपसभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि इस बिल में इन खामियों को विस्तार से संशोधित किया जाना चाहिए और उसके पश्चात इसे शामिल करते हुए ही पास किया जाना चाहिए, तभी इस विधेयक का औचित्य होगा, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shrimati Mausam B Noor. You have six minutes.

SHRIMATI MAUSAM B NOOR (West Bengal): Sir, today is 4th December. It is a very historic day for the farmers of India. Let me remind the nation that on this day, in 2006, Ms. Mamata Banerjee, began her 26 day *bhookh-hartal* fighting for the rights of the farmers. Thank you for allowing me to put it on record.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject.

SHRIMATI MAUSAM B NOOR: While I rise to speak on the Boilers Bill, 2024, I would like to point out the issue of how legislation is being passed. In the Seventeenth Lok Sabha, a total of 221 Bills were passed, out of which one-third were passed with less than sixty minutes of discussion! In the Fifteenth Lok Sabha, seven out of ten Bills were sent to the Committees for scrutiny. In the Seventeenth Lok Sabha, only two out of ten Bills were sent for scrutiny!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the Bill. ..(Interruptions)... Please sit down.

SHRIMATI MAUSAM B NOOR: Sir, I hope that these numbers improve in the Eighteenth Lok Sabha. Now, coming to this Bill, the safety of those who are handling boilers is very important issue. Just yesterday, four labourers in the Prime Minister's home State of Gujarat, died because of a boiler blast. Thus, safety provisions regarding boilers must be taken seriously. The exemptions provided in the Bill need to be re-examined. The role of private players in such a crucial aspect as certification of boilers must be limited. Sir, I have a genuine question. While 'boilers' fall under the Concurrent List, why is it essential for the Union to introduce this Bill? The Bill replaces legislation enacted before Independence. However, it retains most of its provisions rendering it largely symbolic and lacking substantive impact. Its practical relevance is questionable. It must be noted that the countries like the United Kingdom, Germany, Japan and South Africa have repealed laws specific to boilers and instead regulate them under broader laws on occupational health and safety. What is the need for a separate law on the design, manufacture and operations of boilers, which is just another industrial equipment? Former Chairman of the Economic Advisory Council to the Prime Minister, Mr. Bibek Debroy, had pointed out in a 2019 article, and I quote, "We no longer need amendments to the Boilers Act. We no longer need that specific legislation and the specific entry in the Seventh Schedule. Boilers are only an example. The entire Seventh Schedule needs a relook." He advocated that the subject should be moved from the Concurrent List to the State List. Sir, while the Bill empowers the State Governments to appoint Chief Inspector, Deputy Chief Inspector and Inspector, it also states that the qualification requirement will be told by the Union. Why, Sir? Don't you trust the States? *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject. Only that will go on record.

SHRIMATI MAUSAM B NOOR: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject. Otherwise, I will move on.

* Not recorded.

SHRIMATI MAUSAM B NOOR: Further, Sir, Clause 43 of the Bill should be revisited. Be it a Chief Inspector or a Deputy Chief Inspector, an Inspector or even the Union Government, no one should be outside the scrutiny of the law. The words 'not be called in question in any court' may be problematic. Thus, I request the Union to reconsider it. Coming to the places where boilers are majorly used, it is heart wrenching to see the dip in the manufacturing sector. Sir, in the second quarter, manufacturing grew at mere 2.2 per cent. Electricity, gas, water supply and other utility services grew at only 3.3 per cent at basic prices. The result of it is that the GDP is growing at a speed of just 5.4 per cent, slowest in seven quarters.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject.

SHRIMATI MAUSAM B NOOR: Retail inflation is at a 14-month high and food inflation is in double digits.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mausam Noor ji, please speak on this Bill. Otherwise, it will not go, as per the rules. ... (*Interruptions*)... It will not go, as per the rules. You know the rules.

SHRI SAKET GOKHALE (West Bengal): She is connecting, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. I know, Mr. Gokhale. You please keep silence. Please speak on the subject.

SHRIMATI MAUSAM B NOOR: It is good that we are discussing this Bill today. But we also need to discuss the urgent issues which are plaguing the nation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject. Only what you are speaking on the subject will go on the record. Please speak as per the rules. You know the rules.

SHRIMATI MAUSAM B NOOR: Soaring price rise, four out of ten youth unemployed, Manipur violence, funds owed to Opposition States are the issues we need to discuss at the earliest. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. माननीय सदस्यगण, आप रूल्स जानते हैं। जिस विषय पर बहस हो रही है, आप उसके pros & cons पर बोलें। Please confine yourselves to the specific points. Now, Shri Anthiyur P. Selvarasu. You have five minutes.

SHRI ANTHIYUR P. SELVARASU (Tamil Nadu): & Hon. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity. I would like to speak against the Boilers Bill, 2024. This legislation focuses on safety and efficiency. At the same time, it undermines the federal principles and the autonomy of states. It is vital to recognize that our Constitution envisions a collaborative federal structure, where states play a significant role in governance.

During the framing of the Constitution, Dr. B.R. Ambedkar said, The basic principle of federalism is that the legislative and executive authority is partitioned between the Union Government and states. This principle is disregarded now. The Union Government assumes control over areas where States have expertise and jurisdiction. The objective of this Bill is to enhance boiler safety and improve inspection mechanisms. The objective may be commendable. But it centralises the authority of the Union Government reducing the role of State Governments. It is unacceptable.

The regulation of boilers falls under the Concurrent List of the Constitution, that is, both the Union and State Governments share equal responsibility. Historically, Tamil Nadu had played a significant role in framing and implementing rules for boiler safety, tailored to the specific needs of their industries. Tamil Nadu has a robust framework to regulate boilers in its thriving textile and manufacturing sectors.

The Bill gives the Union Government sweeping powers, including the authority to set guidelines, enforce licensing mechanisms and oversee inspections. While the intention may be to create a streamlined and efficient system, the practical impact will be a loss of autonomy for the States. Sir, autonomy of states is not merely a matter of governance. If the States are empowered, they can excel in innovation. Centralised decision-making disregards this local expertise. It is not progress; it is backwardness. States must be trusted and supported to lead in areas where they excel.

& English translation of the original speech delivered in Tamil.

Imposing a one-size-fits-all approach from the Union Government could stifle innovation and disrupt local industries that rely on customized safety protocols. Furthermore, industries in Tamil Nadu that have long adhered to state-specific regulations might face additional compliance costs and logistical challenges in adjusting to a centrally mandated framework.

Similar overreach can be found in areas such as NEET, the GST regime, environmental regulations, agricultural laws and labour laws. Cooperative federalism is the backbone of our democracy. Such attitude of the Union Government will weaken our democracy.

Another concern is the financial burden this Bill could place on states. Upgrading inspection systems, training personnel and implementing centralised guidelines will require significant resources. Without adequate financial support from the Union Government, States may struggle to meet these requirements.

The Union Government must understand that centralisation is not a solution to every problem. A centralised boiler regulation framework might work in some states but fail in others. Every industry has its own specific requirement. States and industry stakeholder could have been consulted before drafting of this Bill. Policy decisions that impact millions of workers and industries across the country must be taken with transparency and inclusivity. Sir, I would like to remind the words of Mr. C.N. Annadurai, stalwart leader of Tamil Nadu. He had said, "The Union Government must be a facilitator, not a master of State Governments. Unity does not mean uniformity. It is acknowledging diversity. I would like to remind that the Union Government should cherish this legacy of respecting State Governments. With these words, I conclude my speech. Thank you.

SHRI GOLLA BABURAO (Andhra Pradesh): Thank you, Mr. Deputy Chairman, for giving me an opportunity to speak on the Boilers Bill, 2024 that seeks to update and replace the Boilers Act of 1923 to improve the Boilers Safety Regulations, streamline procedures and align with the contemporary industrial practices. While the Bill aims to address critical areas such as safety, decriminalisation of offences and clear regulations, several issues may arise in its implementation and scope. The Bill includes several important definitions like 'competent authority', 'competent person' and 'boiler components', but lacks clarity on the specific criteria for recognizing these authorities. While Clause 6 provides for grant of certificate for welders, it does not specify the detailed qualifications or the procedure for recognising the

competent authorities which could lead to inconsistency across the States. Without clear guidelines, how will these authorities be recognized and monitored? There may be disparities in its implementation across different States leading to regulatory inefficiency and confusion. Clauses 3, 4, 5 and 37 grant significant powers to the Central Government such as establishment of Central Boilers Board and the appointment of technical advisers.

3.00 P.M.

While centralization can ensure uniform standards, it could undermine local governance and responsiveness. State Governments are empowered to appoint inspectors, but control and direction by the Central Government might hinder the flexibility needed to address the regional variations in boiler use, manufacture and safety needs. One-size-fits-all approach may not work in diverse industrial landscapes across the States.

The Bill aims to decriminalize three out of seven offences listed in the old Boilers Act. While decriminalization might reduce judicial burden, there is a concern that it may lead to leniency in enforcing boiler safety regulations, especially in cases where violations could have serious consequences. By shifting certain violations to administrative penalties rather than criminal prosecution, the Bill may inadvertently undermine the seriousness with which boiler safety violations are treated. Particularly in industries that neglect safety standards for economic reasons, this could result in lower complaint rates especially among smaller firms or those in non-regulated sector. While the Bill establishes penalties for violations including fine, imprisonment and tampering penalties, the enforcement mechanisms are not clearly defined. There is also concern over how penalties will be applied and whether they will be sufficiently stringent to deter violations. The application of penalties without clear and structured enforcement framework may lead to inconsistent implementation, particularly in regions with weaker administrative establishments.

Sir, in this context, in Andhra Pradesh, our former Chief Minister had given Rs.1 crore compensation to persons killed in boiler accident. This is a record in the history of Andhra Pradesh. I think it is a record in the history of India. ...*(Interruptions)*... No, no. Our former Chief Minister, Mr. Jagan Mohan Reddy, had given Rs.1 crore compensation. No Chief Minister in India could give that much compensation.

To conclude, while the Boilers Bill, 2024, which seeks to modernize and streamline the regulatory framework for boiler safety, is a much needed reform, several concerns must be addressed to ensure its effectiveness. These include potential ambiguities in the definition of authorities, centralization of powers, inadequate clarity on penalties and enforcement, and the possibility of over-burdening SMEs. Additionally, the Bill could benefit from more detailed industry-specific provisions and stronger emphasis on technological innovation in boiler safety. A more balanced approach to decentralization through guidelines and strengthened enforcement mechanisms will be critical to ensure that the Bill meets its objectives without unintended consequences. With these words, on behalf of the YSR Congress Party, I support the Bill. Thank you.

श्री उपसभापति: माननीय सदस्यगण, डा. जॉन ब्रिट्टास को एक कमेटी की मीटिंग में जाना है। अगर आप सब की इजाजत हो, तो मैं पहले उनको आमंत्रित करूँ। ठीक है। डा. जॉन ब्रिट्टास।

श्री जयराम रमेश : सर, मंत्री जी के बिना बिल पर चर्चा हो रही है! ...(व्यवधान)...

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, where is the Minister? ...(Interruptions)...

श्री उपसभापति: मंत्री जी आ रहे हैं। ...(व्यवधान)... प्लीज़। ...(व्यवधान)... दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आप नियम जानते हैं। ...(व्यवधान)... You had been a Cabinet Minister; you know the rules. Please. ...(Interruptions)...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, my time!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, it begins now.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I would earnestly wish that the hon. Minister was here. Nevertheless, since this Bill does not have any substance, there is no need of the presence of the hon. Minister here. If you look at the objectives of the Bill, it says that recently the Government of India has initiated a comprehensive examination of pre-constitutional laws. So, the Minister thought that after three criminal Acts, it should be his turn to de-colonise the *kanoon* of this country. So, this Bill is nothing but a smoke. He is adding to the smog, which we are already suffering in Delhi. Sir, I expected the Minister that, at least, he will go by the usual fashion of the BJP

Ministers by naming this Bill in Hindi. I do not know why he has kept it in English here, 'Boilers'. For the benefit of the Minister, I would say that he should have given the title 'वाष्पक विधेयक'. He should do that. He can bring an official amendment. Now, when I say that this Bill does not have any substance, I have substantive points to offer. First of all, this is an old wine in a new bottle. Many of the clauses are more or less the repetition. And, whatever tampering he has done with the Bill is to usurp the powers of the States. I will come specifically to Clause 23, sub-Clause 4. It mandates that the States must follow the Central Government's directions for investigating boiler accidents. Now, Sir, law and order is a State subject under our Constitution, so also a crime, naturally. But this Clause blows the right past the federal principles. How can you supersede the State Government...*(Interruptions)*... This is part and parcel of the law and order which is supposed to be the prerogative of the State Government. Again, Sir, now, it is worse. Clause 25 hands the Central Government the authority to hear second appeals on revisions against decisions made by the State Chief Inspector. Why should a boiler operating within a State have to appeal to Delhi for a resolution? Are the States, certainly, not capable of handling such a small issue? Or, this is yet another attempt to centralize everything in Delhi! Even the meager powers of the State are being usurped into by the so-called Bill. Now, a boiler with no boundaries -- if that wasn't enough, the Bill does not even specify its territorial applicability. Is this a modern law or a colonial relic resurrected with some copy paste errors? Sir, I won't take much time. I would only urge upon the Minister, if the Bill enhances his standing in the Ministry and the BJP, we are for it because he also wants to depict a picture that he is also into the act of decolonizing the laws of this country. Thank you very much, Sir.

श्री उपसभापति: माननीय सदस्यगण, जिनको भी बैठक में जाना है, वे पहले से इसकी सूचना दें। अगर पहले से सूचना आती है, तो हमें क्रम बनाने में सुविधा होती है। माननीय श्रीमती सुलता देव। आपके पास चार मिनट का समय है।

श्रीमती सुलता देव (ओडिशा): माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। यह जो 'बॉयलर बिल, 2024' इस सदन में लाया गया है, यह 100 साल पुराना, यानी 1923 का बिल है, जिसमें 2007 में संशोधन हुआ था। आज इस बिल के ऊपर चर्चा हो रही है। मैं ओडिशा से आती हूँ। पूरे भारत को भी पता चल गया होगा कि ओडिशा एक ऐसा स्टेट है, जो अभी इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। मान्यवर नवीन पटनायक जी, जो ओडिशा के मुख्य मंत्री थे और अभी अपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में इतने

काम किए कि वहां पर इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ आई और वह एक इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। आप राउरकेला देखिए, अनुगुल देखिए, ढेंकानाल देखिए, जाजपुर, कलिंगनगर देखिए, झारसुगुड़ा देखिए, जहां देखेंगे, वहां इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं और वह इंडस्ट्रियल हब बन गया है। मगर जब हम इस बिल की बात करते हैं और इसमें सेफ्टी और सेक्योरिटी की बात देखते हैं, तो हमें लगता है कि वह समय के अनुसार नहीं है। 100 साल के पहले जो था, अगर आज भी वैसा ही होगा, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। जब अंग्रेजों ने यह बिल बनाया था, तब इतने सारी इंडस्ट्रीज़ नहीं थीं, ईज़ ऑफ़ ड्रूइंग बिजनेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, मगर आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं। अभी दिक्कत यह होती है कि फैक्ट्रीज़ में जो बॉयलर लगे होते हैं, उनमें कभी-कभी ब्लास्ट भी होता है और उससे जान-माल का नुकसान भी होता है। अगर हम देखें तो इसमें यह होता है कि वहां की फैक्ट्रीज़ में जो बॉयलर्स के ऑफिसर्स होते हैं, वे कभी भी बीच-बीच में जाकर इन-टाइम इंस्पेक्शन नहीं करते हैं। सर, जहां पर इंडस्ट्रियल बॉयलर्स लगे होते हैं, वहां जाकर वे कभी इंस्पेक्शन नहीं करते हैं। अगर वे इंस्पेक्शन करते भी हैं, तो वे केवल वहां जाकर आ जाते हैं, जिससे वहां ठीक से इंस्पेक्शन नहीं होता है, जिसके कारण बहुत सारे छोटे-मोटे हादसे हुए हैं। अभी उधर से हमारे एक भाई भी बोल रहे थे कि ओडिशा की शुगर मिल में जब ब्लास्ट हुआ, तो उस समय मजदूर खाने के लिए गए हुए थे, जिसके कारण वे बच गए। इसी तरह, मैं भी बताती हूँ कि वर्ष 2020 में एक कूज, जो कि हमारे पारादीप पोर्ट पर ऑयल लेकर आ रहा था, उसमें भी ब्लास्ट हुआ, जिसमें किसी की जान का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके आसपास के बहुत सारे एरियाज़ प्रभावित हुए, वहां का एन्वायरन्मेंट प्रभावित हुआ और लोग पैनिक में रहे। उससे सबसे ज्यादा प्रभावित वहां के सामुद्रिक जीव-जन्तु हुए, जो मरकर पानी के ऊपर फैल गए। जिस तरह, इंसान की जान की कीमत होती है, उसी तरह उनकी जान की भी कीमत है।

एक बार और ऐसी ही बात हुई। आईओसीएल के ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट, पारादीप में ही वर्ष 2017 में उसी तरह बॉयलर से ब्लास्ट हुआ। उससे वहां के लोग बहुत प्रभावित हुए, पैनिक में रहे और वहां पर इतना ज्यादा पॉल्यूशन हुआ कि लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। इसमें केवल जान-माल के नुकसान की ही बात नहीं है, बल्कि जहां पर ईज़ ऑफ़ ड्रूइंग बिजनेस की बात हो रही है और हम इंडस्ट्रीज़ की बातें बोल रहे हैं, वहां इंडस्ट्रीज़ में जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स काम करते हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का कोई जिम्मा नहीं लेता है। जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स होते हैं, वे केवल अपने बिजनेस में ही मस्त रहते हैं। ये इंडस्ट्रियलिस्ट्स तो अपने बिजनेस और पैसा कमाने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जो बेचारा डेली मजदूर होता है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर होता है, अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये लोग उसको ठीक से कंपनसेशन नहीं देते हैं और उसकी फैमिली को भी कंपनसेशन नहीं मिलता है। सर, यहां पर मंत्री जी बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे यह रिक्वेस्ट करूंगी कि नियमों में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि कम से कम उनके परिवार को अच्छा कंपनसेशन मिले, उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिले, उनको लाइफ़ इंश्योरेंस मिले और उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए उनको सारी सुविधाएं दी जाएं। अगर ऐसा न हो तो फिर इससे कोई फायदा ही नहीं है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर लोगों को हम अपने पीछे छोड़ रहे हैं। कुछ लोगों को आगे बढ़ाने और कुछ इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने के लिए

अगर हम सेफ्टी और सिक्योरिटी को नजरअंदाज कर देंगे, तो कहीं ऐसा न हो कि यह जो बिल आया है, जिसकी हम आलोचना कर रहे हैं, उसकी हम ऐसे ही आलोचना करते रहें और सेफ्टी और सिक्योरिटी पीछे छूट जाए। अभी बताया गया कि जो बॉयलर्स के ऑफिसर्स होते हैं, उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता, जिसके कारण जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है और उनको बोला भी जाता है, तो वे सुनते नहीं हैं। इसलिए इसमें एक ऐसा रेगुलेशन होना चाहिए कि उनके ऊपर भी निगरानी हो, ताकि वे लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। **...(समय की घंटी)...** सर, मैं कहूंगी कि ह्यूमन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है और यह बिल तो पास हो जाए, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि यह केवल 'Old wine in a new bottle' सिद्ध हो, धन्यवाद।

श्रीमती सीमा द्विवेदी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे बॉयलर्स बिल, 2024 के संबंध में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ।

महोदय, बॉयलर्स बिल, 2024 भारत सरकार द्वारा राज्य सभा में पेश किया गया एक महत्वपूर्ण विधेयक है, जो पुराने बॉयलर्स एक्ट, 1923 को संशोधित करने तथा उसे और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। इस नए बिल का उद्देश्य औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्र में सुरक्षा मानक तथा नियमन को बेहतर बनाना है। महोदय, जब हमारा देश आजादी का "अमृत महोत्सव" मना रहा था, ऐसे अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने गुलामी की निशानी को हटाने के लिए संकल्प लिया था और देश के नागरिकों को विश्वास भी दिलाया था। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसी विश्वास को कायम रखते हुए अपने कार्यकाल में 2,000 से अधिक ऐसे औपनिवेशिक कानूनों को हटाया, जो किसी भी प्रकार से जनहित में नहीं थे।

महोदय, अब मैं इस बिल से होने वाले फायदे के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। यह अतीत की बेड़ियों को हटाने की दिशा में एक कदम है। छोटे व्यवसायों के मन से डर को हटाने वाला एक कदम है। इसमें सुरक्षा मानकों में सुधार है, नवीनतम तकनीकों की स्वीकार्यता है, नियमों का सरलीकरण है, प्रवर्तन में लचीलापन है, प्रदूषण नियंत्रण पर ध्यान दिया गया है, नवीन शिक्षा और प्रशिक्षण है, संचालन और रखरखाव की निगरानी है, दंड और जुर्माने का भी प्रावधान है।

महोदय, यह विधेयक 'बायलर एक्ट, 1923' से बेहतर क्यों है, उसे भी मैं बताना चाहती हूँ। इसमें सुरक्षा मानक और निरीक्षण प्रक्रिया में सुधार, प्रवर्तन में लचीलापन, टेक्नोलॉजी का समावेश, प्रशिक्षण और प्रमाणन, प्रदूषण नियंत्रण और नियामक में सुधार है।

महोदय, अब मैं निष्कर्ष बताना चाहती हूँ। बायलर बिल, 2024 का उद्देश्य पुराने एक्ट, 1923 की तुलना में औद्योगिक सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रभाव और प्रौद्योगिकी में हुए बदलावों को ध्यान में रखते हुए बायलर के संचालन को अधिक सुरक्षित और कुशल बनाना है। इसके द्वारा बायलर से जुड़ी प्रक्रियाओं की निगरानी, संचालन और रखरखाव को आधुनिक बनाकर उद्योगों को अधिक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

महोदय, सुरक्षा मानकों में सुधार को लेकर मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। पहले एक उद्योग में बायलर की एक बड़ी पाइपलाइन लीक हो जाती थी, उससे विस्फोट का खतरा हो जाता था। पुराने एक्ट, 1923 में बायलर का निरीक्षण और मरम्मत करने की प्रक्रिया काफी लम्बी और जटिल थी, जिससे दुर्घटनाएं होती थीं। आपने देखा होगा कई बार हमको सुनने को मिलता था कि अमुक पाइपलाइन लीक हो गई, अमुक घटना घट गई, बायलर फट गया, बहुत सारे मज़दूर मर गए, बहुत सारे लोग मर गए। हमारे देश में ऐसी घटनाएं हुआ करती थीं। नए बिल के तहत 2024 के बायलर बिल में बायलर की निगरानी के लिए डिजिटल और स्मार्ट सेंसर की व्यवस्था की जाएगी, जो लीक और अन्य खतरों की पहचान पहले से कर सकेंगे। जैसे ही कोई समस्या होगी, सिस्टम अलर्ट भेजेगा और विशेषज्ञों को समय रहते सूचित किया जाएगा। इससे सुरक्षा मानकों में सुधार होगा और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम किया जाएगा। ऐसा हो जाने से जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती थी, उनको अकाल मृत्यु से बचाने का एक बहुत बड़ा कदम है।

महोदय, नवीनतम तकनीकों के समावेश की बात करूं तो एक पावर प्लांट में पुराने डिज़ाइन के बायलर्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो न केवल ऊर्जा की अधिक खपत करते हैं, बल्कि इनकी निगरानी भी मुश्किल होती है। पुराने एक्ट में बायलर्स के लिए रखरखाव की मानक प्रक्रियाएं बहुत सामान्य थीं। मान्यवर, नए बिल के तहत क्या है, मैं वह बताना चाहती हूँ।

अब 2024 के बिल में यह व्यवस्था की गई है कि बायलर्स के लिए उच्चतम तकनीकी मानकों का पालन किया जाए। जैसे, बायलर में स्मार्ट मीटरिंग और आटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे उनकी कार्यक्षमता को सही तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा। इससे ऊर्जा की खपत कम होगी और दक्षता बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, अगर बायलर में ऊर्जा की खपत अत्यधिक बढ़ जाए, तो सिस्टम उसे तुरंत नोटिस करेगा और नियंत्रण कक्ष को अलर्ट करेगा। इससे हमारा सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हमारी बिजली की खपत कम होगी। बिजली के क्षेत्र में हम बचाव कर सकेंगे।

महोदय, प्रदूषण के बारे में कहना चाहूंगी कि प्रदूषण नियंत्रण करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार का पूरा फोकस है कि प्रदूषण को कैसे कम किया जा सके। एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में पुराने बायलर का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे पर्यावरण पर अत्यधिक प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। पुराने एक्ट में प्रदूषण नियंत्रण के सख्त उपाय नहीं थे। अब नए बिल के तहत कौन से सख्त उपाय किए गए हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। 2024 के बायलर बिल में यह प्रावधान है कि सभी बायलर्स को ग्रीन टेक्नोलॉजी और कम प्रदूषण उत्सर्जन वाले मानकों के अनुसार अपडेट किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई बायलर CO₂ या अन्य प्रदूषणकारी गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन करता है, तो उसे तुरंत बदलने या सुधारने के निर्देश दिए जाएंगे। इससे उद्योगों के प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा और पर्यावरण पर इसके नकारात्मक प्रभाव को कम किया जाएगा। इसके हो जाने से जो हमारे प्रदूषण को खराब करने में ये मानक काम करते थे, उसको रोकने का एक बहुत बड़ा उपाय किया गया है।

महोदय, नए बिल के तहत 2024 के बायलर बिल में बायलर ऑपरेटरों के लिए प्रमाणन और प्रशिक्षण के नए मानक तय किए गए हैं। अब केवल वे ही लोग बायलर का संचालन कर सकेंगे, जिनके पास मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र होंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई ऑपरेटर बायलर की मरम्मत या संचालन में लापरवाही करता है, तो सबसे पहले उसका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। इससे प्रशिक्षित और योग्य ऑपरेटरों का महत्व बढ़ेगा और सुरक्षा में सुधार होगा।

मान्यवर, लचीलापन की बात करूं तो प्रवर्तन में जो लचीलापन लाया गया है, मैं उसका भी जिक्र करना चाहती हूँ। उपसभापति महोदय, मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहती हूँ। पुराने एक्ट के नियामक अनुपालन में अकसर देरी होती थी और कई बार उद्योगों और नियमों को समझने में कठिनाई होती थी और इससे अकसर नियमों का उल्लंघन होता था। अब नए बिल के तहत उल्लंघन नहीं हो सकेगा, क्योंकि 2024 के बिल की अनुपालन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। अब कंपनियों को नियमों और प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलेगी और उन्हें समय पर अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। उदाहरण के लिए कोई कंपनी बायलर के निरीक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती है ...**(समय की घंटी)**... और जांच की तारीख, समय के बारे में ई-मेल या मैसेज द्वारा सूचना प्राप्त कर सकती है, इससे नियमों का पालन और आसान होगा। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी की नीतियों की सराहना करती हूँ, जिनका हर कदम परोपकारी है, जिनकी सोच से देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए यह कदम है। उसकी सराहना करते हुए और इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, धन्यवाद।

श्री उपसभापति: माननीय डा. दिनेश शर्मा।

डा. दिनेश शर्मा (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, आपने मुझे बायलर विधेयक, 2024 के संदर्भ में बोलने का अवसर दिया है। निश्चित रूप में सरकार की नीति रही है कि नवाचार के साथ-साथ व्यवसाय का सरलीकरण करना, सुरक्षा प्रदान करना और राज्य सरकारों के साथ तारतम्य स्थापित करके विसंगतियों को दूर करना। उपरोक्त विधेयक के अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि भारत में स्टीम बायलर्स के विनियमन में सुधार करना। यह 1923 के मौजूदा बायलर्स अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है और उसकी विसंगतियों को दूर करता है। जिस प्रकार से दंड के प्रावधान के कारण लोगों में भय की व्यवस्था थी, तमाम भार न्यायालय के ऊपर पड़ता था, इसमें उसका सरलीकरण किया गया है और तमाम अधिकार इस विधेयक के अंतर्गत केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को दिए गए हैं।

मान्यवर, मोदी सरकार के समय विगत वर्षों में 2014 के बाद तमाम परिवर्तन किए गए। उन तमाम कानूनों में परिवर्तनों को और खास तौर से अंग्रेजों के शासनकाल से चले आ रहे विधेयकों में कार्यों के सफल संचालन के लिए तमाम परिवर्तन किया गया है। वर्ष 2000 के आस-पास कानूनों में परिवर्तन किया गया और बायलर्स अधिनियम का मूल उद्देश्य यही है कि परिवर्तन के द्वारा सुरक्षा

देना, दूसरी तरफ छोटे व्यापारियों को एक तरीके से आश्वासित करना और राज्य और केन्द्र सरकार में समान नीतियों का परिपालन सुनिश्चित कराना। सर, निरीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से अगर सतत प्रक्रिया चलती रहती है, तो सुरक्षा का भाव पहले से अधिक जागृत होता है। आज पूरे देश में जो व्यवस्थाएं हमारे सामने आई हैं, व्यवसायों का सरलीकरण हुआ है, कानूनों का सरलीकरण हुआ है, उसके कारण पूरे विश्व में न केवल हमारा सम्मान बढ़ा है, बल्कि अगर आप देखें, वर्ष 2015 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग 142 के पायदान पर थी, वह आज घटकर 63वें पायदान पर पहुंच चुकी है। यह हमारे विभिन्न प्रकार के कानूनों में सरलीकरण का ही प्रभाव दिखाई देता है। हमारा निवेश बढ़ा है, हमारा घरेलू उत्पादन बढ़ा है, स्वावलंबिता को प्रोत्साहन मिला है और छोटी-छोटी चीजों पर भी सरकार ने विभिन्न प्रकार से एक व्यापार की सुगमता के लिए, उनमें सुधार करने के लिए, अन्न के नियामक बोझ को कम करने के लिए और उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के कानूनों में संशोधन किया गया है और इन संशोधनों की एक कड़ी के रूप में हम इस बॉयलर्स अधिनियम, 2024 को देखते हैं। इसमें केन्द्रीय बॉयलर्स बोर्ड्स बनाने की स्थापना का अधिकार दिया गया है। इससे निश्चित रूप में इसमें उपसमिति और समितियों के गठन का अधिकार प्राप्त होगा, जिससे तमाम चीजों का जो सरलीकरण है, निर्णय है, उसमें निर्णय की अवस्था कम होगी। आज तमाम क्लिष्टता के कारण, कठिनाइयों के कारण, तमाम प्रकार की तकनीकों में कठिनाइयों के कारण निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। केंद्र सरकार की कार्य करने की जो प्रवृत्ति है, उसमें rationalisation without tears है। हम विवेकीकरण करेंगे, हम सुधार करेंगे और बगैर आंसुओं के करेंगे - यह जो सिद्धांत है, वह ऐसे तमाम प्रकार के कानूनों में साफ तौर पर परिलक्षित होता है। हमारा यह जो बॉयलर विधेयक है, यह केवल बॉयलर बिरादरी को नियमित करने के लिए नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा सुनिश्चित करने, दक्षता को बढ़ावा देने और सतत विकास को आगे बढ़ाने के बारे में भी है। यह विधेयक जीवन की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

मान्यवर, प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण के बाद तमाम सुधार किये। जहां उन्होंने जन-धन खाते में पैसा जमा करने की योजना को घोषित किया, वहीं पर मेक इन इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया तथा डिजिटल इंडिया जैसी तमाम प्रकार की परियोजनाओं को भी सामने लाए। महोदय, मेक इन इंडिया के अंतर्गत हमारे देश में तमाम चीजों को बनाया गया। बॉयलर्स के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो एक प्रतिष्ठा है, वह आज बढ़ी है, हमारी सुरक्षा बढ़ी है और कर्मचारियों के मन में जो भय का वातावरण था, उनके मन में दुर्घटना को लेकर जो भय का वातावरण था, वे उससे मुक्त हुए हैं। इसमें छोटे व्यवसायियों को प्रोत्साहन मिला है। महोदय, इसके साथ ही मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री उपसभापति: धन्यवाद डा. दिनेश शर्मा।

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to participate in the discussion on the Boilers Bill, 2024, on behalf of the AIADMK Party's General Secretary, Edappadi K. Palaniswami. This Bill seeks to replace the Boilers Act, 1923. I used to see Shri Piyush Goyal as the leader here. Now, I am missing him because he has been elected to Lok Sabha. Anyhow, I am happy to participate in the discussion on this Bill piloted by Shri Piyush Goyal.

The Government is considering for safety of property and persons from the dangers of explosion of boilers. The Bill also empowers the Central Government to constitute a Central Boilers Board to make regulations. It also empowers the State Governments to appoint Inspectors for inspecting and certifying boilers. This empowers Inspectors to enter the premises. However, it does not specify safeguards against such an action. Secondly, the Bill empowers the State Government to exempt an area from the application of the Bill. This raises a doubt whether safety would be ensured. I would request the hon. Minister to clarify this point in his reply.

Then, another concern is that the Bill disallows judicial discourse against the decision of the Central Government and Inspectors appointed by the State Government. Hence, the only option available here to the aggrieved industries will be to file a writ petition in the High Court. The hon. Minister may clarify this point also. These were the issues I wanted to raise. Especially in Tamil Nadu, as our hon. Member spoke about Karur and Tiruppur, there are textile industries and dyeing industries. Some kind of safety measures are required there. I request the Central Government, as our hon. Member also requested, to give some more funds to the State Government. Ours is a co-operative federalism. But, at the same time, to implement certain schemes, our Party also believes that we need to give more powers and more allocations to the State Governments.

When we talk about appointing Inspectors, it reminds us of licensing raj and the corruption that takes place. When Inspectors go to inspect the boilers, sometimes, they create problems for the small and medium industries. Therefore, what is the safety for the people engaged in these industries? Because of these things, sometimes, the implementation of the project gets delayed. Therefore, it is important to curtail these kinds of practices. Tackling corruption is more important. Giving powers to the State Governments is one thing, but, at the same time, by giving powers to Inspectors, we have to see that corruption does not take place. How is the Central Government going to safeguard the interests of industries, and, at the same time, ensure safety while carrying out normal activities of boilers? These are the

concerns that I wanted to raise. I hope the hon. Minister will take care of these aspects and will clarify all these concerns in his reply.

SHRI P. P. SUNEER (Kerala): Sir, the necessity of having a separate law for regulation of boilers is questionable as in some countries like the United Kingdom and South Africa, regulation of boilers has been integrated into broader occupational health and safety laws.

Clause 38 allows the State Governments to exempt certain areas from its application which raises concerns whether safety can be ensured in areas where such exemptions are granted and whether this might not be utilized. Clause 43 provides that the order of the Central Government under Sections 25 and 26, or of the Chief Inspector, or of a Deputy Chief Inspector, or of an Inspector, mainly appeals against their decisions, shall be final and shall not be called in question in any court. This may lead to refusal of inspection certificate needed to start manufacturing, registration certificate needed to start operation of a boiler, renewal of registration certificate and approvals needed to carry out alterations and repair. Thus, an aggrieved individual would not have judicial recourse against the decisions of the Government. The only option available to the public is to directly file a Writ Petition before the High Court under Article 226 of the Constitution. This might lead to misuse of power granted to these authorities and harassment of public. Thank you, Sir.

श्री दीपक प्रकाश (झारखंड): उपसभापति महोदय, आज इस बायलर विधेयक, 2024 पर चर्चा करने का अवसर देने के लिए मैं आपका और पार्टी का सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ। सरकार द्वारा लाया गया यह बिल बायलर्स अधिनियम, 1923 को बदलने का एक सराहनीय प्रयास है, जिसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ और इस बिल के पक्ष में अपना वक्तव्य रखना चाहता हूँ। आज हम जो विधेयक लेकर आए हैं, वह 100 साल पुराना कानून है। उपसभापति महोदय, यह सुनने में हास्यास्पद लगता है और पढ़ने में पुराना लगता है। इसमें अंग्रेजीयत की बू आती है। सच कहा जाए तो अगर किसी ने इस कानून को इतने लंबे समय तक ढोया है, तो काँग्रेस ने ढोया है। इसके लिए काँग्रेस जिम्मेदार है कि इस पुराने कानून का असर भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इसके लिए सीधे-सीधे काँग्रेस जिम्मेदार है। मैं मानता हूँ कि युग नया है, लेकिन कानून पुराना है; टेक्नोलॉजी नई है, लेकिन कानून पुराना है; उद्यमी नया है, लेकिन कानून पुराना है; दृष्टि नई है, अब लोग नए विज्ञान से काम करते हैं, लेकिन कानून पुराना है; इसलिए देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों पुराने कानूनों को बदलकर एक नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत बनाने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में आज यह नया कानून लाने का काम हमारे माननीय मंत्री जी ने किया है। इसके लिए

मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। महोदय, यह कानून क्यों लाया गया है, यह विधेयक क्यों लाया गया है? 1923 के इस एक्ट में कई समस्याएं और चुनौतियां थीं, जिनका सामना करने के लिए आज की वर्तमान परिस्थिति अनुकूल नहीं है। 1923 का यह कानून पूरी तरह से पुराना और अप्रासंगिक है। यह सदियों पुराना कानून है, जो आधुनिक समय की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। महोदय, इसमें दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि यह जटिलताओं से भरा हुआ पुराना कानून है, अस्पष्टता से पूरा भरा हुआ कानून है। इसके प्रावधान इतने जटिल हैं कि कई लोगों को तो समझ में ही नहीं आते हैं। इसमें कई ऐसी चीजों का प्रावधान किया गया है, जो युगानुकूल नहीं हैं।

निरीक्षण और प्रमाणीकरण की जो कमी है, वह पुराने कानून में स्पष्टता के साथ दिखाई देती है। महोदय, इसके अलावा इसमें दंड और जुर्माने की जो पद्धति है, वह पुरानी पद्धति है। यह पद्धति आज के युग के अनुकूल नहीं है और आज की इकोनॉमी के लिए भी आवश्यक नहीं है। इसके अलावा इसमें टेक्नोलॉजी की कमी है। इसमें आधुनिक तकनीक की कमी है। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से नई-नई मशीनों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन यह कानून उसको संरक्षण और समर्थन नहीं देता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो मैंने अंग्रेज और अंग्रेजियत की कही है, तो यह कानून नौकरशाही चलाने वालों को मजबूती प्रदान करता है। महोदय, मैं आपसे आग्रह और निवेदन करने के लिए खड़ा हूँ कि यह बिल पूरी तरह से अब अप्रासंगिक है, यह युगानुकूल नहीं है और हम यह कह सकते हैं कि इसमें अंग्रेजियत की बदबू आती है। महोदय, मेरे पास बोलने के लिए कितना समय है?

श्री उपसभापति: आपके पास 1 मिनट और 7 सेकंड का समय है।

श्री दीपक प्रकाश: इस बिल को स्पष्टता प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जिसमें समान प्रावधानों को 6 अध्यायों में समूहीकृत किया गया है, ताकि इसे समझना आसान हो, अपराधीकरण की समाप्ति हो और सुरक्षा में सुधार हो। जिस प्रकार से इसके अंदर श्रमिकों के हितों की चिंता की गई है, वह काबिल-ए-तारीफ है। इसके साथ-साथ व्यापार करने में सुगमता हो, इसमें ऐसी कई चीजों को शामिल किया गया है। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कल्चर का प्रावधान भी किया गया है। महोदय, हम यह कह सकते हैं कि यह विधेयक आर्थिक विकास का प्रतिबिम्ब बनने वाला है। इसके साथ ही साथ इसमें पर्यावरण की चिंता करने का भी पूरी तरह से प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य बॉयलर्स के निर्माण और उपयोग को विनियमित करना, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना, अपंजीकृत और अप्रमाणित बॉयलर्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना है। इसके साथ-साथ पंजीकरण और निरीक्षण की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए, उसमें समानता लाने का प्रावधान भी इस विधेयक में किया गया है। ये सारे कदम सराहनीय हैं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, माननीय दीपक प्रकाश जी। माननीय श्री अब्दुल वहाब जी। माननीय अब्दुल वहाब जी उपस्थित नहीं हैं। माननीय श्री नरेश बंसल जी।

श्री नरेश बंसल (उत्तराखंड): माननीय उपसभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा लाए गए बायलर अधिनियम, 2024 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पहले का बिल आजादी से पहले 1923 का था और यह स्वाभाविक बात है कि जब अंग्रेज इस बिल को लाए होंगे, तो वह अपने शासन को मजबूत करने के लिए लाए होंगे। उनकी मानसिकता भी हमको दंडित और अपमानित करने की थी। हालांकि इसमें 2007 में कुछ संशोधन किए गए, पर आज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में यह बिल विफल था। हमारे यशस्वी माननीय प्रधान मंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। हम विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और चौथी के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। उसमें जो सामूहिक प्रयास होने चाहिए, जिसका उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव में लालकिले की प्राचीर से घोषणा भी की थी। उन्होंने जो पंच प्रण की घोषणा की, उसमें गुलामी की मानसिकता से बाहर आने का आह्वान है। उसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में 1.5 हजार से ज्यादा कानून, जिनको यहां के नागरिक, यहां की न्यायपालिकाएँ ढो रही थीं, जिनका कोई औचित्य नहीं था, उनको समाप्त किया गया। आज की परिस्थिति में तेज आर्थिक विकास के लिए भारत, जो manufacturing hub बन चुका है और विदेशी कंपनियां भी इधर आकर्षित हैं, तो बायलर इंडस्ट्री में भी सुधार की आवश्यकता है। हमारे चीनी उद्योग में, खाद के उद्योग में, अन्य बड़े-बड़े उद्योगों में, छोटे-बड़े उद्योगों में बायलर का उपयोग होता है। उसके लिए भारत का आंतरिक उद्योग प्रगति करे, Ease of Doing Business के अंतर्गत उसको सुविधा मिले, इंडस्ट्री में काम करने वाले कार्मिकों की सुरक्षा हो, जान-माल की रक्षा हो, नए अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया जाए, इन सबको ध्यान में रखते हुए यह बायलर अधिनियम लाया गया है। हमारे यहां भी बायलर्स अंतरराष्ट्रीय स्तर के बनें, उनका निरीक्षण हो, रजिस्ट्रेशन हो, समय-समय पर inspection हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखा गया है, जिससे MSME उद्योग निरंतर प्रगति करेंगे और भारत की आज विश्व में जो साख बन रही है, वह साख और बढ़ेगी। इन सबका ध्यान रखते हुए इस बिल में प्रावधान किए गए हैं। बहुत सी जो अनावश्यक धाराएं थीं, वे हटाई गई हैं; बहुत सी धाराओं में जो सजा का प्रावधान था, उनका सरलीकरण करके decriminalization किया गया है, उसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया है और जहां पर आवश्यक है, जैसे रजिस्ट्रेशन से छेड़छाड़ करना, निरीक्षण में कोताही, ऐसे विषयों पर सजा का भी प्रावधान है। इसलिए यह बड़ा comprehensive विधेयक है, जिससे MSME उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, कामगारों को काम करने के स्थल पर सुरक्षा मिलेगी, उनकी जान-माल की रक्षा होगी। हम इंडस्ट्री में आए दिन सुनते हैं कि बायलर के विस्फोट से अनेक मजदूरों की जान-माल को नुकसान हुआ है। इससे उस पर रोक लगेगी, उसमें कमी आएगी। इस बिल के माध्यम से जो इसका उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर नए उद्योगों को प्रोत्साहित करना, Make in India के अंतर्गत MSME को प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप आदि को प्रोत्साहित करना, वे सब उद्देश्य पूरे होंगे।

महोदय, माननीय मंत्री जी जो विधेयक लाए हैं, मैं इसका पूर्ण समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि वे इस प्रकार का comprehensive बिल लेकर आए, जो मजदूरों की भी रक्षा करेगा, Ease of Doing Business को भी आगे बढ़ाएगा, MSME उद्योग को भी बढ़ाएगा और अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे बायलरों के निर्माण में भी उनका एक गुणवत्तापूर्ण

स्थान बनाएगा। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ और इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। साथ ही, हमारे माननीय मंत्री जी महाराष्ट्र से आते हैं, कल वहाँ की सरकार शपथ लेने जा रही है, मैं उसकी भी उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।

श्री उपसभापति: माननीया डा. फौजिया खान जी।

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, it is said that intelligence is the ability to adapt to change and therefore alignment with changing times is always welcome. While the attempt of the Bill is to modernize it, how can we ignore environmental and sustainability concerns which have been severely overlooked in this Bill?

सर, गुलजार जी ने कहा है,

"जंगल, पेड़, पहाड़, समंदर,
इंसां सब कुछ काट रहा है,
छील-छील के खाल जमीं की,
टुकड़ा-टुकड़ा बांट रहा है।"

सर, ऐसे हालात में इस तरह के बिल में अगर हम sustainability के प्रश्न को ignore करते हैं, तो फिर is this adaptability to change?

† सर، گلزار جی نے کہا ہے۔

جنگل، پیڑ، پہاڑ، سمندر،
انسان سب کچھ کاٹ رہا ہے،
چھیل چھیل کے کھال زمین کی،
ٹکڑا ٹکڑا بانٹ رہا ہے۔
سر، ایسے حالات میں اس طرح کے بل میں اگر ہم سسٹینیبلیٹی کے سوال کو نظر انداز کرتے ہیں، تو پھر اس میں
ایڈاپٹیو ایبلٹی ٹو چینج؟

Sir, industrial steam boilers are energy intensive and one of the major sources of air pollution in the country. This Bill overlooks this concern completely. Provisions mandating or incentivizing renewable energy integration are notably absent and it lacks specific provisions for monitoring and controlling emissions. In May, 2023, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has weakened emission standards for large boilers. These diluted rules, combined with poor enforcement, pose risks to worsening the position. I urge that an environmental compliance expert be considered as a potential member of the Boilers Board being constituted under the

† Transliteration in Urdu script.

Bill to ensure alignment of boiler regulations with environmental standards and sustainability practice. I hope the hon. Minister is listening to me.

Other critical major issues in the sector are mechanical malfunction like overheating, explosions, leaks and ruptures. Regular inspections and maintenance are often neglected leading to operational inefficiencies and safety hazards. We have faced loss of human lives in innumerable explosion and leak accidents. The penalties proposed in the Bill starkly underplay the potential of catastrophic consequences to human life and property. I suggest that penalties be grossly extended.

The Bill provides no timeline for completing inspections for manufacturing and erection of boilers and approvals of alterations and repair. On the occasion of the 40th anniversary of the Bhopal gas tragedy, we must have a legislation that gives due diligence to routine inspections and encourages adequate quality checks, and the Boilers Bill must follow suit. Third party audits have been mentioned in the Bill and we have given them the authority to certify. My question is: What is the logic behind giving certification authority to private persons? This must please be clarified by the Minister.

The Boilers Bill, 2024 lacks provisions for an insurance-based inspection system. While it allows private sector involvement through competent persons and inspecting authorities, it does not integrate comprehensive self-regulation or insurance-driven activities, as we see in the UK laws. I believe that adopting a UK-style framework could enhance safety, reduce bureaucratic delays and ensure higher compliance standards. It must be noted that in countries like the United Kingdom and South Africa, boiler-specific legislation has been repealed with boiler now being regulated under comprehensive occupational health and safety laws.

Sir, as I wind up, I must only say that in our effort to improve, let our vision be much broader and when we modernize ourselves, let us not forget about the big calamity of environmental hazards over us. Thank you.

श्री शंभू शरण पटेल (बिहार): उपसभापति महोदय, आपका धन्यवाद। आपने आज मुझे सदन में बॉयलर बिल, 2024 पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, मैं इस बिल के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह बिल बॉयलर एक्ट, 1923 का स्थान लेगा और boilers, boilers' components और manufacturing, installation, प्रयोग और मरम्मत को रेगुलेट करेगा।

महोदय, यह नया विधेयक 100 साल पुराने कानून की जगह लेगा। बॉयलर विधेयक, 2024 में उद्योग एवं कारोबार में सुगमता बढ़ाने के लिए अप्रचलित प्रावधानों को हटाया गया है एवं इसे श्रमिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए लाया गया है।

महोदय, इस सदन में नया बॉयलर विधेयक 2024 लाने के लिए माननीय मंत्री, श्री पीयूष गोयल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बॉयलर्स में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए भी इसमें बहुत सारे प्रावधान किये हैं।

महोदय, इस विधेयक के प्रावधानों को अधिक स्पष्टता प्रदान करने के लिए इसे आधुनिक प्रारूप पद्धतियों के अनुसार तैयार किया गया है। बॉयलर अधिनियम, 1923 में विभिन्न स्थानों पर मौजूद समान प्रावधानों को छः अध्यायों में एक साथ रखा गया है, ताकि अधिनियम को आसानी से पढ़ा और समझा जा सके। किसी भी भ्रम से बचने के लिए इस बिल में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्रीय बॉयलर बोर्ड के सभी कार्यों/शक्तियों का विस्तार से वर्णन किया गया है।

महोदय, यह विधेयक व्यापार और इज ऑफ ड्रूइंग बिजनेस को आसान करने के लिए एमएसएमई क्षेत्र सहित बॉयलर उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित करेगा, क्योंकि विधेयक में गैर-अपराधीकरण से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है। बॉयलर और बॉयलर का काम करने वाले कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सात अपराधों में से, चार प्रमुख अपराधों में, जिनके परिणामस्वरूप जान और संपत्ति का नुकसान हो सकता है, आपराधिक दंड बरकरार रखा गया है तथा अन्य अपराधों के लिए वित्तीय दंड का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा सभी गैर-आपराधिक अपराधों के लिए आर्थिक दंड को जुर्माने में बदल दिया गया है, जिसे पहले की तरह अदालतों के बजाय कार्यकारी तंत्र के माध्यम से जुर्माना लगाया जाएगा।

महोदय, इस विधेयक के माध्यम से श्रमिकों की सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि विधेयक में बॉयलर के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बॉयलर की मरम्मत योग्य और सक्षम व्यक्तियों द्वारा किए जाने के विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं।

महोदय, संविधान-पूर्व अधिनियम - बॉयलर अधिनियम, 1923 - जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए मौजूदा अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा करके और संसद में एक नया बॉयलर विधेयक, 2024 पास करके अधिनियमन को जारी रखना महत्वपूर्ण है। बॉयलर अधिनियम, 1923 को वर्ष 2007 में भारतीय बॉयलर (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा व्यापक रूप से संशोधित किया गया था, जिसमें थर्ड पार्टी निरीक्षण प्राधिकरणों द्वारा निरीक्षण और प्रमाणन की शुरुआत हुई थी, परंतु तत्कालीन यूपीए सरकार ने आधे-अधूरे संशोधन करके उसे और भी भ्रामक बना दिया था। विशेष कर श्रमिकों की रक्षा के लिए उसमें कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया था। इसीलिए, मौजूदा अधिनियम की आगे की जांच करने पर, अधिनियम की समीक्षा करने और जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुरूप गैर-अपराधीकरण प्रावधानों को शामिल करने की आवश्यकता महसूस की गई है।

महोदय, तदनुसार मौजूदा अधिनियम की समीक्षा की गई है, जिसमें अनावश्यक और अप्रचलित प्रावधानों को हटा दिया गया है तथा नियमों और विनियमों के लिए कुछ सक्षम प्रावधान किए गए हैं, जो पहले मौजूद नहीं थे। कुछ नई परिभाषाएं भी शामिल की गई हैं और कुछ मौजूदा

परिभाषाओं में संशोधन किया गया है ताकि विधेयक के प्रावधानों को और अधिक स्पष्टता दी जा सके।

महोदय, इस अधिनियम को छः अध्यायों में विभाजित किया गया है और प्रावधानों को अध्यायवार पुनर्व्यवस्थित किया गया है। मौजूदा अधिनियम में कोई अध्याय नहीं है और समान प्रावधान अलग-अलग स्थानों पर हैं। बॉयलर विधेयक, 2024 के खंड 2 में नई परिभाषाएँ शामिल की गई हैं, जो 2(के) : अधिसूचना, 2(पी) : विनियम, 2(क्यू) : राज्य सरकार से संबंधित हैं।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बॉयलर विधेयक, 2024 के खंड 2 में निम्नलिखित परिभाषाओं को संशोधित किया गया है - 2(डी) : बॉयलर घटक, 2(एफ) : सक्षम प्राधिकरण, 2(जे) : निरीक्षण प्राधिकारी। जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक में निहित बॉयलर अधिनियम, 1923 के गैर-अपराधीकरण प्रावधानों को खंड 27, 28, 29, 30, 31, 39 और 42 में शामिल किया गया है तथा बॉयलर विधेयक, 2024 में दो नए खंड अर्थात् 35 (न्यायनिर्णय) और 36 (अपील) शामिल किए गए हैं। तदनुसार, गैर-आपराधिक अपराधों के लिए आर्थिक दंड को जुर्माने में बदल दिया गया है (खंड : 27, 28, 30(1) और 31)। अधिनियम के विद्यमान नियमों और विनियमों के लिए सक्षम प्रावधान बनाने हेतु विधेयक में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं - खंड 3(7), 5(8), 10(1)(एफ), 10(2), 11(2), 12(9), 23(4) और 32(2)।

महोदय, विधेयक में विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप नियम बनाने के लिए केन्द्र सरकार की शक्ति (खंड 39); नियम बनाने की बोर्ड की शक्ति (खंड 40) और नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति (खंड 42) को विस्तार से सूचीबद्ध किया गया है। विधेयक में कुछ नए प्रावधान शामिल किए गए हैं - खंड 43 (कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति); बॉयलर अधिनियम, 2024 के प्रावधानों को तीन वर्ष की अवधि के भीतर प्रभावी करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए तथा खंड 44 (निरस्त और रक्षण): बॉयलर अधिनियम, 1923 के तहत विभिन्न नियमों, विनियमों, आदेशों को तब तक रक्षित रखना, जब तक कि पुनः अधिनियमित बॉयलर अधिनियम, 2024 के तहत नए नियम, विनियम, आदेश आदि अधिसूचित नहीं हो जाते। महोदय, वर्तमान प्रारूपण और तौर-तरीकों के अनुसार, विभिन्न खंडों का पुनः प्रारूपण किया गया तथा विभिन्न प्रावधानों के संदर्भ शामिल किए गए हैं।

महोदय, इस बिल में बॉयलर्स बिल की परिभाषा दी गई है, जिसमें दबाव से भाप उत्पन्न करने वाले बर्तन या पात्र शामिल हैं। सर, एक मिनट और दे दीजिए, क्योंकि मेरा समय बहुत मुश्किल से आता है। इस बिल के माध्यम से बॉयलर्स की मैनुफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन के लिए नियम और मानक तय किए गए हैं। इस बिल में बॉयलर्स के प्रयोग और मरम्मत के लिए नियम और मानक तय किए गए हैं। इस बिल में बॉयलर्स के निरीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।...(समय की घंटी)... सर, एक मिनट और दे दीजिए, मैं कन्क्लूड कर दूंगा।

श्री उपसभापति: माननीय सदस्य, आप ऑलरेडी दो मिनट अधिक बोल चुके हैं।

श्री शंभू शरण पटेल: सर, मैं एक मिनट में कन्क्लूड कर दूंगा। महोदय, इस बिल के माध्यम से बॉयलर्स की सुरक्षा के नियम और मानक तय किए गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इस बिल में बॉयलर्स की गुणवत्ता के नियम और मानक तय किए गए हैं, जिससे बॉयलर्स की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इस बिल में बॉयलर्स के नियमों को सरल बनाया गया है, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इस बिल में बॉयलर्स के नियमों को सरल बनाया गया है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

महोदय, इस बिल का समर्थन करते हुए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम्!

श्री उपसभापति: माननीय श्री बाबू राम निषाद जी; not present. माननीय श्री सामिक भट्टाचार्य जी।

SHRI SAMIK BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, I rise to support the Boilers Bill, 2024, a vital step in modernizing industrial safety and governance. The boilers are critical to industry like manufacturing, power and refineries, but they also pose significant risk if not properly inspected and maintained. This Bill is a positive effort to enhance the safety, efficiency and ease of doing business.

Sir, I want to point out some salient features of the Boilers Bill, 2024. Number one, the Act has been divided into six chapters and the provisions have been rearranged chapter-wise. In the existing Act, there are no chapters, and similar provisions are at different places. Two, the following obsolete provisions in the Boilers Act, 1923 have been omitted:

(i) Section 1 (2): Applicability of the Act to the whole of India; (ii) Section 2A : Applicability of Act to feed-pipes; and (iii) Section 2B: Applicability of the Act to Economizer. Three, following new definitions have been incorporated in Clause 2 of the Boilers Bill, 2024: 2(k): notification; 2(p): regulations; and 2(q): State Government. Four, following definitions have been amended in Clause 2 of the Boilers Bill, 2024 in line with provisions in the Act: 2(d): Boiler Component; 2(f): Competent Authority; 2(j): Inspecting Authority.

Sir, decriminalization provisions for the Boilers Act 1923 as contained in the Jan Vishwas (Amendment Provisions) Bill have been incorporated in Clauses 27, 28, 29, 30, 31, 39 and 42, and two new Clauses, namely, 35

(Adjudication) and 36 (Appeal) have been incorporated in the Boilers Bill, 2024. Accordingly, for non-criminal offences 'fine' has been converted into 'penalty' (Clauses 27, 28, 30(1) and 31.

Sir, following provisions have been incorporated in the Bill for making substantive enabling provisions for the rules and regulations existing in the Act: Clauses 3(7), 5(8), 10(1)(f), 10(2), 11(2), 12(9), 23(4) and 32(2).

4.00 P.M.

Power of the Central Government to make rules (Clause 39), power of Board to make regulations (Clause 40) and power of State Governments to make rules (Clause 42) in the Bill have been enumerated in detail in line with different provisions in the Bill. Sir, the following new provisions have been incorporated in the Bill: (i) Clause 43, (Power to remove difficulties): For removal of any difficulty in giving effect to the provisions of the Boilers Act, 2024 within a period of three years. (ii) Clause 44 (Repeal and Saving): For saving different rules, regulations, orders, etc. under the Boilers Act, 1923 till new rules, regulations, orders, etc. are notified under the re-enacted Boilers Act, 2024. Redrafting of different clauses has been done as per current drafting practices and referencing of different provisions incorporated.

Sir, it is the need of the hour and we have to come out of the colonial hangover. It is a clear manifestation of *Aatmanirbhar Bharat*. It will enhance the efficacy, ease of doing business and safety measures to the workers engaged in this particular field.

Sir, I have been ordered by my senior leader, Bajpayeeji, to try not to touch upon West Bengal, saying 'तुम जब भी कुछ बोलते हो, वे खड़े हो जाते हैं, वे जब भी कुछ बोलते हैं, हम खड़े हो जाते हैं'।

श्री उपसभापति: आप बिल पर बात कीजिए।

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: Sir, we are living in a boiler State. It is very difficult to say something. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Samik Bhattacharya, you have to talk on the Bill only. Then there would be no problem. ...*(Interruptions)*...

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: Sir, I am speaking on the Bill only, but we are living in a ... *... (Interruptions) ...* Sir, please try to understand my position. सर, यहां मिनिस्टर साहब बैठे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have to speak on the Bill. वही रिकॉर्ड पर जाएगा। *... (Interruptions) ...*

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: Sir, this is very much connected with the MSMEs. *... (Interruptions) ...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have to speak on the Bill.

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: Sir, the Bill is very much connected with the MSMEs. *... (Interruptions) ...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have to speak on the Boilers Bill, not on that subject. *... (Interruptions) ...* No.

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: * *... (Interruptions) ...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. That will not go on record. You have to speak on the subject. The same rule will apply to you also. *... (Interruptions) ...*

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: * *... (Interruptions) ...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Samik Bhattacharyaji, as per rules, you have to speak on the subject only. *... (Interruptions) ...* Please take your seats. *... (Interruptions) ...* आप बिल पर बात कीजिए। *...(व्यवधान)...* आप बिल पर बोलिए। *...(व्यवधान)...* सबको बिल के बारे में बोलना है। रूल 110 सबके लिए है। *... (Interruptions) ...* Please take your seats. *... (Interruptions) ...* आप दोनों की कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। *...(व्यवधान)...* आप बिल पर बोलिए। आपकी बात रिकॉर्ड पर जाएगी। *...(व्यवधान)...* आप बिल पर बोलिए।

* Not recorded.

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: Sir, the Boilers Act, 1924 was comprehensively amended in the year 2007 wherein inspection and certification by independent third party inspecting authorities was introduced. However, no further examination of the existing Act was done. A need has been felt to review the Act and also incorporate the decriminalization provisions in consonance with the amendment provisions. ...*(Interruptions)*...Sir, I am on the last point. I would conclude in one minute. Hon. Deputy Chairman, Sir, this legislation is not just about regulating boilers. It reflects our commitment to safeguarding lives, ensuring industrial efficiency and promoting substantial growth. I urge all Members of the House to support the Boilers Bill, 2024 for a safer and a more prosperous India.

श्री बाबू राम निषाद (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, मैं बॉयलर्स विधेयक, 2024 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। निश्चित रूप से इस विधेयक के बारे में मुझसे पूर्व विशेष वक्ताओं ने विषय प्रस्तुत किए हैं। क्यों इस विधेयक में संशोधन और परिवर्तन करने की आवश्यकता हुई? मोदी सरकार लगातार ऐसे विधेयकों को लाकर उनमें संशोधन और परिवर्तन कर रही है, जिसमें जनहित, विकास, सुरक्षा और संरक्षा जैसे विषय जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से भारत सरकार सभी संविधान पूर्व अधिनियमों की वर्तमान समय में उनकी उपयुक्तता और प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से जांच कर रही है। बॉयलर अधिनियम, 2023 संविधान पूर्व अधिनियम है, जो जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित है। इसलिए मौजूदा अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा करके और संसद में एक नया बॉयलर विधेयक, 2024 पेश करके अधिनियम को जारी रखना महत्वपूर्ण है।

माननीय मंत्री जी के द्वारा यह विधेयक लाया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना और औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकना है। बॉयलर्स ऐसे महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जिनका उपयोग उद्योगों में किया जाता है। इस पुराने बॉयलर विधेयक में धन हानि, जन हानि होती थी और समय रहते उनका निराकरण न हो पाता था। निश्चित रूप से जब यह विधेयक आया है, तो इसमें होने वाली दुर्घटनाओं पर वहां जो भी प्रशासन है, जो भी अधिकारी है, कर्मचारी है, वह समय रहते तत्परता के साथ उनका निदान करेगा और जो दूरगामी घटनाएं घटित हो सकती हैं, उसमें उस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी की परस्पर दृष्टि रहेगी कि कोई ऐसी घटना न घटित हो, जिसमें जन की हानि हो, धन की हानि हो। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसमें किसी भी स्तर पर कोई कमी ऐसी न छूटे, उस पर विशेष दृष्टि रखते हुए उसका आगे संचालन व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। यहां बिजली संयंत्र, विनिर्माण, रसायन, खाद्य और रिफाइनरियां और जैसा कि हमारे बृज लाल जी ने सही बताया कि हमारे घरों में जो गीजर लगा हुआ है, उसमें भी ऐसी दुर्घटनाएं होती थीं। छोटे बॉयलर्स से लेकर बड़ी रिफाइनरियों तक, रसायन, खाद और बिजली संयंत्रों तक यह विधेयक विनिर्माण के दौरान गुणवत्ता, निरीक्षण और बॉयलर के उपयोग के दौरान नियमित परीक्षण सुनिश्चित करता है, ताकि बॉयलर विस्फोट जैसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके और मैंने पहले भी कहा कि इसमें श्रमिकों की जान जोखिम में

पड़ सकती है। जब जान जोखिम में पड़ सकती है, तो निश्चित रूप से समय रहते उसमें विभाग का और उस डिपार्टमेंट का विशेष ध्यान हो। आज के दौर में आधुनिक सुरक्षा मानक विशेष तौर पर प्रभावी हो चुके हैं, तो फिर इतने बड़े प्रोजेक्ट पर कहीं भी चूक न हो, इसके लिए विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। यह विधेयक आधुनिक सुरक्षा प्रथाओं और अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित करता है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इसका रख-रखाव और इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होती है। शासन और सरकार, दोनों को इसमें समय रहते काम करने का अवसर मिलता है।

सरलीकरण प्रक्रिया में यह विधेयक बॉयलरों के निरीक्षण और प्रमाणन को सुव्यवस्थित करता है। यह निश्चित रूप से पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और नौकरशाही संबंधी देरी को कम करता है। नौकरशाही कहीं भी किसी स्तर पर लापरवाही न बरते, इसमें इसका विशेष संशोधन परिवर्तन रखा गया है। यह विधेयक प्रभावी निगरानी, राज्य और केंद्रीय प्राधिकरण को स्पष्ट दिशा-निर्देशों के साथ सशक्त बनाकर यह सुनिश्चित करता है कि बॉयलरों का संचालन और रख-रखाव जिम्मेदारी से किया जाए, कहीं भी किसी स्तर पर चूक न होने पाए। महोदय, इसमें ऐसे स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। जब यह विधेयक 2024 में लाया गया है, तब निश्चित रूप से इसकी बहुत महत्ता थी, इसकी बहुत आवश्यकता थी। इसमें समय रहते परिवर्तन करना अवश्यभावी था और आज एक बहुत ही अच्छा विधेयक हम सब के समक्ष आया है।

महोदय, यदि घरेलू विनिर्माण, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर कहूं, तो निश्चित रूप से घरेलू विनिर्माण के समर्थन के लिए इस बॉयलर विधेयक में ऐसे परिवर्तन अपनाए गए हैं, जो उच्च गुणवत्ता वाले बॉयलर और बॉयलर घटकों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। जब हम स्वदेशी की बात करते हैं, तो जब हमारे पास देश के अंदर टेक्नोलॉजी है, हमारे पास अच्छे इंजीनियर्स हैं, हमारे पास अच्छे कर्मचारी हैं, तब निश्चित रूप से हमें स्वदेशी के अनुरूप ही, जहां-जहां हमारी रिफाइनरीज हैं, जहां-जहां हमारे कल-कारखाने लगे हुए हैं और वहाँ पर बॉयलर्स भी हैं, तब उनमें तकनीक का इस्तेमाल हो और उनको ठीक से, व्यवस्थित तरीके से संचालित करने का काम हो सके। भारत में निर्मित बॉयलर अपने मानक, गुणवत्ता, दक्षता और सुरक्षित संचालन के कारण दुनिया भर में स्वीकार किए जाते हैं। जब से देश में नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीसरी बार सरकार बनी है, तब से निश्चित रूप से पूरे विश्व में हमारी तकनीकी का, हमारे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का अनुभव भी विदेशों में स्वीकारा गया है। जब हम विश्व स्तर पर या कहीं भी, किसी भी स्तर पर खड़े होते हैं, वह चाहे टेक्नोलॉजी में हो, अर्थ क्षेत्र में हो, सीमाओं में हो, सुरक्षा में हो, किसान के लिए हो, व्यापारी के लिए हो, ...(समय की घंटी).. इन सभी स्तरों पर, इस देश की आवाज़ पूरे विश्व में गूँजी है। आज जो बॉयलर अधिनियम, 2024 आया है, यह निश्चित रूप से दुनिया में अपना लोहा मनवाता है और पूरी दुनिया इसको स्वीकार करती है। यह विधेयक केवल बॉयलर बिरादरी को विनियमित करने के लिए नहीं है, बल्कि सुरक्षा सुनिश्चित करने, दक्षता को बढ़ावा देने और सतत विकास को आगे बढ़ाने के बारे में भी है। यह विधेयक जीवन की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। मैं इस विधेयक का निश्चित रूप से भरपूर समर्थन करता हूँ।

माननीय उपसभापति जी, मैं आपको आभार और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है। उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Abdul Wahab - not present. Shri Rambhai Harjibhai Mokariya - not present. Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade.

डा. अजित माधवराव गोपछड़े (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है। महोदय, आज के दिन हमारा जो बॉयलर्स का विधेयक आया है, यह हमारे विश्व गौरव, आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी तथा हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री जी का अभिनंदन करने का और इस विधेयक का समर्थन करने का दिन है। यह एक ऐसा व्यापक कानून है, जिसका उद्देश्य भारत के स्टीम बॉयलर्स के विनियमन में सुधार करना है। इस विधेयक का उद्देश्य पुराने कानूनों को हटाना और पिछले अधिनियम के उन प्रावधानों को सरल बनाना है, जिनकी अब आवश्यकता नहीं है। महोदय, हमें विश्व गौरव प्रधान मंत्री जी और हमारे वाणिज्य मंत्री जी का अभिनंदन इसलिए करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की जो निशानियाँ हैं, उनको हटाने का काम किया है। हमने आजादी के अमृत महोत्सव में यह करके दिखाया है। यह कार्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ कि अंग्रेजों की गुलामी की जो पुरानी निशानियाँ थीं, हमने उसको हटा दिया है। मैं मोदी जी का अभिनंदन इसलिए भी करना चाहता हूँ कि उनके मन में छोटे व्यवसायियों के प्रति बहुत लगाव है। छोटे व्यवसायियों के मन से पूरा डर हटाने का काम इस मोदी सरकार ने किया है।

(सभापति महोदय पीठासीन हुए।)

हमारी व्यापार सुगमता में सुधार करने, नियामक बोझ को कम करने, उद्योग के विकास को बढ़ावा देने, छोटे उल्लंघनों के लिए व्यवसाय को दंडित करने की बजाय विनियमितिकरण करने और सुरक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने का काम किया गया है। मैं मोदी जी का अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूँ, क्योंकि काँग्रेस की अल्प-दृष्टि वाली जो वाणिज्य नीतियाँ हैं, उन्हें मोदी जी ने पूरे तरीके से पलट दिया है। काँग्रेस के दौर में लालफीताशाही थी। लाइसेंस राज, अत्यधिक नियमों एवं विनियमों के कारण तीन दशकों से अधिक समय तक इस व्यापार को बाधित किया था। इसके विपरीत मोदी सरकार के अंतर्गत 2015 से 2020 में इसकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग भी बेहतर हुई है। मैं मोदी जी का अभिनंदन इसलिए भी करना चाहता हूँ, क्योंकि तब हम रैंकिंग में 142वें स्थान पर थे, जबकि अब हम मोदी जी के नेतृत्व में 63वें पायदान पर पहुँच गए हैं। बायलर का यह विधेयक बायलर का काम करने वाले हमारे व्यक्तियों को सुरक्षा प्रस्तावित करता है, बायलर उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। इसमें नियमित निरीक्षण है। इसमें बायलर के पंजीकरण की प्रक्रिया के मानकीकरण का प्रावधान है। मैं मोदी जी

और वाणिज्य मंत्रालय का अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें उन्होंने जनसुरक्षा को बढ़ावा दिया है, इसमें उन्होंने अनुपालन और प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया है और आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा भी दिया है।

माननीय सभापति महोदय, निर्माण क्षेत्र में ताकतवर बनने लिए, मोदी सरकार ने भारत को एक वैश्विक निर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए इस निर्माण क्षेत्र को मजबूत करने और एमएसएमई का समर्थन करने को लगातार प्राथमिकता दी है। इन छोटे-छोटे उद्योगों को, हमारे व्यापारी लोगों को, हमारी कारखानदारी को बढ़ावा मिला है। हमारे यहाँ पर विदेश से बहुत सारे निवेश बढ़ रहे हैं। इन कारखानदारियों की वजह से हमारे छोटे-छोटे गाँवों में कारखानों को बढ़ावा मिला है और यह भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे पायदान पर ले जाने की भी नींव रखता है। न्यायिक प्रणाली को सरल बनाना, न्याय की लोगों तक पहुंच को सुनिश्चित करना, यह मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। यह बायलर का जो विधेयक है, यह जनविश्वास अधिनियम की तर्ज पर न्यायपालिका पर अनावश्यक बोझ को कम करने की दिशा में एक कदम है। इस प्रस्तावित कानून के अंतर्गत गैर-आपराधिक अपराधों के लिए जुर्मानों को दंड में परिवर्तित किया जाएगा, जो न्यायिक प्रक्रियाओं के बजाय, एक कार्यकारी तंत्र के माध्यम से लगाया जाएगा। यह परिवर्तन न केवल अदालतों के मामलों पर बोझ कम करता है, बल्कि मामूली नियामक उल्लंघनों का तेजी से समाधान भी सुनिश्चित करता है, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है। इस विधेयक के माध्यम से कार्यपालिका को ऐसे मामलों को सीधे संभालने का अधिकार देकर न्यायिक संसाधनों को अधिक गंभीर और महत्वपूर्ण मामलों के लिए मुक्त करने का प्रयास किया गया है, जिससे एक संतुलित और प्रभावी कानूनी प्रणाली का निर्माण हो सकता है। मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ।

सभापति महोदय, यह विधेयक सुरक्षा को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस विधेयक के महत्व को समझें और इसे पारित करने में मदद करें। यह विधेयक हमारे देश के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगा। हमें एक समृद्ध और सशक्त राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ाएगा। **...(समय की घंटी)...** हम सब मोदी जी के इस विधेयक का, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के इस विधेयक का समर्थन करते हैं। इस विधेयक को सफलतापूर्वक लागू कर सकें, इसके लिए मैं सदन से इस विधेयक को पारित करने की विनम्र प्रार्थना करता हूँ। मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार दृढ़ता से पूरे देश को विश्व में आगे बढ़ाती जा रही है। मैं मोदी जी और मोदी जी की सरकार का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, Shri Piyush Goyal, to reply to the discussion.

SHRI PIYUSH GOYAL: Mr. Chairman, Sir, I have come to this House after quite a long time and I must say, it is great to be with all the team over here under your leadership. We miss a lot of the good times that we had. Under your guidance, we gained a lot of knowledge and we were able to work together in this team. I think,

sometimes, even I miss Jairam Ramesh for all the jostling that we did in the earlier days.

श्री सभापति: जयराम जी बहुत बार भूल जाते हैं कि उनके नाम में राम है।

श्री पीयूष गोयल: सर, इनके नाम में राम है, लेकिन सिर्फ थोड़ा कर्तृत्व में कमी रह जाती है। माननीय सभापति जी, माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए एक विषय रखा था और मैं उनके उस वाक्य को सदन के समक्ष पेश करना चाहूंगा। देश अब कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकले, राष्ट्र के सामर्थ्य का प्रयोग राष्ट्र निर्माण में हो, इसके लिए राष्ट्रीय चिंतन आवश्यक है। वास्तव में माननीय प्रधान मंत्री जी ने गत दस से साढ़े दस वर्षों में जिस प्रकार से देश का नेतृत्व किया है, जिस प्रकार से अपने हर कार्य में पुरानी सोच, पुराने काम करने का ढंग, पुराने तरीके और अफसरशाही से लोगों को सामान्य जीवन में काम करने में जो दिक्कतें आती थीं, उन सबको बदलने का प्रयास किया है। वे रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं। इस मूल मंत्र को लेकर 10 वर्षों में जो देश बदला है, वह पूरे देश के समक्ष है। इतिहास गवाह है कि आज के युग में अगर हम गत दो वर्षों के अलग-अलग चुनाव को देखें, दुनिया भर में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें 60-70 प्रतिशत देशों ने इन दो वर्षों में, 2023-24 में चुनाव के माध्यम से अपना मत दिया, उनमें भारत एकमात्र बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसने तीसरी बार प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी को चुनकर अपनी मोहर लगाई है कि वह उनके काम से संतुष्ट है और उनके कामों को आगे भी 5 साल बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने तो देश को आश्वस्त किया है ...(व्यवधान)...

श्री जयराम रमेश : सर, यह चुनावी भाषण है, उनको बिल पर बोलने के लिए कहिए।

श्री पीयूष गोयल: यह बिल इसी से संबंधित है। आपको अपनी सोच को ठीक करने की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री मोदी जी ने शुरुआत में ही कहा था कि वे तीसरी टर्म में तीन गुना ज्यादा मेहनत करेंगे, तीन गुना ज्यादा तेजी से कम होगा, तीन गुना ज्यादा काम होगा, तीन गुना ज्यादा परिणाम आएंगे और उन तीन गुना ज्यादा परिणाम से तीन गुना ज्यादा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था, देश के कामकाज और देश के लोगों के जीवन पर पड़ेगा। जब हम देश की आजादी के 75 वर्ष पर आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे थे, तब प्रधान मंत्री मोदी जी ने देश के समक्ष एक सोच रखी थी कि हमें किन मूल्यों के ऊपर देश को बदलना है और देश को आगे चलाना है। अमृत काल अगले 25 वर्ष, 2022 से 2047 तक का समय है। अमृत काल में किस तरीके से हम सब मिलकर एकजुट होकर काम करें और देश को एक विकसित देश, एक समृद्ध देश बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाएं, इसके लिए उन्होंने पांच प्रण दिए थे, पांच मूल्य दिए थे। उन पांच प्रण को मैं एक बार और आपके माध्यम से सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ। उनके मन में था कि भारत एक विकसित देश बने, डेवलप्ड कंट्री बने, जहां पर आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, लोगों के

पास एक अच्छी जीवन शैली हो और उनके पास सब सुख-समृद्धि हो, सभी पूरी तरीके से रोजमर्रा की जरूरतों से युक्त हों और एक ऐसा देश बने जिसमें हर बच्चे को पर्याप्त अवसर मिले, आगे बढ़ने का, काम करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो, लोगों को सक्षम बनाया जाए, उनका कौशल भी बढ़ाया जाए और उनके लिए पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान किए जाएं। दूसरा, उन्होंने प्रण रखा था, जो इस बिल के परिप्रेक्ष्य में जरूरी है कि देश की जो गुलामी की मानसिकता है, उससे हमें देश को मुक्त करना है।

हमें तो हैरानी हुई, जब उसके बाद हम सबने अपने-अपने मंत्रालय में ढूँढ़ना शुरू किया, तो ध्यान में आया कि सैकड़ों ऐसे कानून इस देश को अभी भी चला रहे थे, जो कानून आजादी के पहले के थे, ब्रिटिशर्स के जमाने के थे। 1947 के पहले के कानून, चाहे वह न्याय संहिता की बात हो, चाहे अलग-अलग औद्योगिक कानून हों, लगभग हर क्षेत्र में ऐसे पुराने कानून इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश के कामकाज को चला रहे थे। उसी के हिसाब से दंड होता था, सजा होती थी। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो सोच रखी थी कि गुलामी की मानसिकता को हम खत्म करें और आज की आधुनिक सोच के साथ, आज के परिप्रेक्ष्य में देश की जो जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए हम सब लगे, उसको ध्यान में रखते हुए लगभग पूरी सरकार में 1947 के पहले के ऐसे पुराने जितने कानून हैं, इन सभी को एक बार revisit किया जा रहा है और उनमें जहां-जहां जरूरत पड़े, सुधार किया जा रहा है; जहां-जहां आवश्यक हो, चीजों को सरल किया जा रहा है; जहां-जहां लगे कि सजा के प्रावधान, जेल के प्रावधान को कम करने की आवश्यकता हो, तो उसको कम किया जा रहा है और अगर कहीं यह लगे कि प्रावधान और सख्त करने की जरूरत हो, तो उनको सख्त भी किया जा रहा है।

तीसरा प्रण, जो प्रधान मंत्री जी ने रखा था, वह था अपनी विरासत के ऊपर गर्व करना, have pride in our roots. देश की जो मूल ताकत है, जो original strength है, वह हमारी विरासत में है। हमारे traditions; हमारे heritage; अपने इतिहास में हमने जो-जो चीजें सीखी हैं; संस्कृति से हमें जो ताकत मिलती है; इसको फिर एक बार देश को अपनाना चाहिए। विकास भी हो, साथ में विरासत भी संरक्षित रहे; यह जो उनकी सोच थी, उसी के तहत आज अपनी विरासत के ऊपर देश गर्व करने लगा है। देश के सामने ढेर सारे ऐसे अन्य-अन्य मौके आ रहे हैं, जिनमें हम विरासत के पीछे फिर एक बार ताकत के साथ लग रहे हैं। हाल में ही मराठी हो, असमिया हो, ऐसी पांच भाषाओं को अभिजात भाषा, classical language का दर्जा देना भी एक पहल थी, जिसने अपनी विरासत को और ताकत देने की कोशिश की है। भारत की ऐसी बहुत सारी विरासतें अब देश के समक्ष आ रही हैं। अभी-अभी इस वर्ष 31 अक्टूबर को हमने सरदार पटेल की जयंती के 150 वर्ष मनाने की शुरुआत की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और हम 25 दिसंबर से जन्म शताब्दी मनाएंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी हम इस वर्ष मनाने जा रहे हैं। ऐसे अन्य-अन्य तरीकों से भारत की विरासत को और बल देने का काम यह सरकार कर रही है।

चौथा प्रण था - देश की एकता और एकजुटता ...(व्यवधान)... मैं उस पर आ रहा हूँ, देश की एकता और एकजुटता को और मजबूत करना। कई मेम्बर्स ने federalism की बात की।

Federalism - जब cooperative federalism हो, federalism में जब देश और राज्य मिल कर काम करें, तो देश आगे बढ़ता है। वह तो भारत की जनता बार-बार यह message दे ही रही है, चाहे वह हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिल कर काम करें, उसी में देश की प्रगति और आगे बढ़ती है। ऐसा ही प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम देश की एकता और एकजुटता को कायम रखें, और मजबूत बनाएं।

उन्होंने पांचवां प्रण बताया था कि हरेक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, अपनी duties को समझे। हमारे अधिकार तो हम सबके पास हैं ही और कई बार अधिकार की बात हम सदन में भी सुनते हैं, पर अपनी जिम्मेदारी निभाना लगभग भूल से जाते हैं। मैं समझता हूँ कि प्रधान मंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि हम सभी नागरिक अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं, अधिकार का भी हमें पूरा हक है, लेकिन जिम्मेदारी का देश को अधिकार है कि देश के प्रति समर्पित होकर हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। इस कड़ी में यह बॉयलर बिल, 2024 इसीलिए जरूरी हो जाता है कि लास्ट जब यह बिल बना था, तो 1923 में यह बिल बन कर लागू हुआ था। इसमें एक बार 2007 में परिवर्तन हुआ, परन्तु उसकी भी एक बड़ी अच्छी कहानी है, जो मैं आपके समक्ष रखूँगा, बताऊँगा कि पहले सरकारों में कैसे काम होता था और मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के ढंग में कितना फर्क है।

माननीय सभापति महोदय, यह बॉयलर बिल एक प्रकार से देश को सेफ बनाता है। देश को सुरक्षित बनाने के लिए हमें इस बॉयलर बिल की आवश्यकता लगी। Safe क्यों? SAFE, क्योंकि इसमें Security के प्रावधान हैं, higher standards for the safety of workers. यह mandate करता है कि कैसे क्वालिफाइड लोग बॉयलर्स का निरीक्षण करें, उसके इंस्पेक्शन में अच्छे लोग लगे, इसमें competent people हों। उसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कौन क्वालिफाई होगा, इसको निर्धारित करने के प्रावधान इसमें रखे गए हैं। कुछ माननीय सांसदों ने आलोचना की कि केंद्र सरकार इसे क्यों तय करेगी, इसे राज्यों को तय करना चाहिए, मैं उसका भी जवाब थोड़ी देर में देता हूँ।

SAFE में S के बाद A है। A का मतलब Accountability है। इस बिल में बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि कौन अकाउंटेबल होगा, किसके ऊपर जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही साथ एक तरफ यह क्लियर और ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म तो रखता ही है, लेकिन यह जनता और उद्योग जगत पर विश्वास भी दर्शाता है। This trust कि सामान्यतः व्यक्ति गलत नहीं करना चाहता है, सामान्यतः व्यक्ति में एक ईमानदारी है। तो यह जनविश्वास का भी एक प्रतीक है। हमारी सरकार की एक जो विशेषता रही है कि इसने ease of doing business के लिए बड़े कदम उठाए हैं। यहाँ तक कि पूरे विश्व में आज भारत की पहचान है कि यहाँ पर काम करना सरल हुआ है और इसलिए बड़े पैमाने पर यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यहाँ निवेश भी आ रहा है, टेक्नोलॉजी भी आ रही है और भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बल मिल रहा है। एक प्रकार से उसकी भी एक झलक इसमें trust और compliance के साथ देखने को मिलती है।

सभापति जी, प्रधान मंत्री जी की सोच है कि इसमें Flexibility भी होनी चाहिए। कानून ऐसे नहीं बनने चाहिए, जो हर एक चीज में आपको बाँध दे। एक सुझाव आया कि इसमें इंस्पेक्टर्स की

जो क्वालिफिकेशन है, उसको प्रावधान में क्यों नहीं डाला। मैं समझता हूँ कि रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं तथा रूल्स और रेगुलेशंस पर सदन का ओवरसाइट है। ऐसा नहीं है कि सरकार मनमर्जी से कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस बना सकती है। कानून एक ढांचा बनाता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है और जब सरकार उसके अंतर्गत रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है, तो सदन के पटल पर हरेक रूल्स और रेगुलेशंस को रखती है। इसमें जब-जब जरूरत पड़ती है, तब-तब रूल्स और रेगुलेशंस पर चर्चा भी होती है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने हमारा जो ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाया है, बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हमें जो संविधान दिया है, मैं उनका वंदन करता हूँ कि इस संविधान को बनाने में कितनी गहरी सोच रखी गई है। उस पर हम इस सदन में अगले सोमवार-मंगलवार को जरूर चर्चा करेंगे; तब बहुत सारे विषय बाहर आएँगे, जो मुझे लगता है कि विपक्ष के कई नेताओं को embarrass भी करेंगे और ^π

MR. CHAIRMAN: I am sure you are withdrawing this part.

SHRI PIYUSH GOYAL: Certainly, I withdraw that part.

MR. CHAIRMAN: Good.

SHRI PIYUSH GOYAL: But I would only like to say that, that debate will be an eye-opener for the entire nation. It will be an eye-opener for the people of India just like several comments were made today which almost promoted a fake narrative. Earlier, we had seen that fake narratives were being propagated but, fortunately, fake narratives only work once and then the people become wiser and choose rightly the next time around. Sir, SAFE का चौथा अंश है-E.

MR. CHAIRMAN: Piyushji, fake should never become real. That is a great problem. Fake should remain fake and exposed as such.

SHRI PIYUSH GOYAL: Absolutely right, Sir.

MR. CHAIRMAN: And, fake is challenge irrespective of any group; it is challenge to all of us. Am I right?

SHRI JAIRAM RAMESH: Absolutely, Sir.

^π Withdrawn by the hon. Minister.

MR. CHAIRMAN: Yes, go ahead. There is an agreement.

SHRI PIYUSH GOYAL: Very true, Sir. In fact, sometimes, what we believe would never happen, has happened in this country like it happened in 1975. We had never imagined that things like what happened in 1975 can happen. ...*(Interruptions)*... Hon. Chairman, Sir, surprisingly, the boilers' regulation also has a connection to the Emergency of 1975, which I will just come to in a minute. How the so-called efficiency of 1975 was seen when the Boilers Act was sought to be amended, and how helpless the then Government was despite having taken all the powers away from the Opposition and having full powers with the Government, we all know. The fake narrative of today was a reality of 1975. Sir, 'E' the efficiency; we are trying to streamline the inspection processes. Certification has been made easier and more democratized all over the country. Operations have been made easier so that industry does not have to suffer officialdom. Our effort is that industry can work with speed, precision and high productivity. When we looked at the Bill in all its dimensions, we thought it was necessary, on examination, that this pre-Constitution Act should be revised and improvised. Its suitability and relevance in the current times should be reflected in the Bill. While we wanted to deal with safety of life and property, we brought a fair balance so that life and property is protected, but for minor mistakes or minor misdemeanors, people should not be harassed. Therefore, in the Jan Vishwas Bill, which this House was kind enough to pass last year, we reduced a lot of provisions where criminalization of actions was provided in the law; people were threatened with jail and with severe consequences. Very often that threat was used also for rent seeking in the old days. We wanted to ensure that business persons, for serious offences, are taken to serious task and, for minor offences, pay a stiff penalty and are warned not to indulge in such acts. I must mention here, Sir, that the Boilers Act of 1923 was comprehensively amended in 2007 by the Indian Boilers Amendment Act passed under the UPA regime. It was during that amendment that inspection and certification by independent third party inspecting authorities was introduced. It was during that amendment that the Central Government was given a number of powers that are today being questioned in this august House. A number of other changes were made in that Act, which I would like to share a little bit in detail with this House because it is an interesting story of how the Government used to work in the past. How did the Boilers Act come into play? If we

go back into history, in 1863, there was a boiler explosion in Kolkata. That prompted the Bengal Council to enact the first..

MR. CHAIRMAN: Boiler explosion in?

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, Kolkata.

MR. CHAIRMAN: It was Calcutta then.

SHRI PIYUSH GOYAL: At that time, it was Calcutta. I am respecting the sentiments of my brothers and sisters from Kolkata and using today's...

MR. CHAIRMAN: Not only their sentiments but the sentiments of everyone.

SHRI PIYUSH GOYAL: My brothers and sisters from Kolkata and everyone. Like if anybody says Bombay instead of Mumbai, we Mumbaikars feel very hurt.

MR. CHAIRMAN: I am not the only former Governor; there are others also.

SHRI PIYUSH GOYAL: Chairman, Sir, when the boiler explosion took place, the Bengal Council enacted the first Boiler Inspection legislation in 1864, 100 years before I was born. Following that Act, all the seven other Provinces framed similar legislation. Those Acts, those rules and regulations were totally inconsistent with each other. So, all seven Provinces in the country had seven different sets of rules and regulations and laws.

Now many Members here are suggesting why the Central Government is coming into play. We should leave all of this to the States. Let the States have their own rules, their own regulations, their own qualifications. I am reading out this history only to share with the Members that this problem was faced nearly 160 years ago; difficulties of 160 years ago, you want to bring back into India today in 2024. These differences in Acts, in rules, regulations gave rise to a lot of difficulties. It hampered the development of industries, and, therefore, the then Central Government, the British Government, appointed a Committee called the Boiler Laws Committee in 1920. The Boiler Laws Committee prepared a draft on the lines of which the All India Act was passed in 1923, the Indian Boilers Act, 1923.

It may be noted, Sir, the original Act took only three years to pass and it was in recognition of the fact that you can't have different laws in every Province that the Central legislation was enacted by the then British Government. This Act provided for the safety of life, property of persons, and from the danger of explosions of boilers. In pursuance of this Act, the Central Boilers Board was formed in 1937. Now the question comes up, why did I refer to the Constitution, Sir? I referred to the Constitution because the makers of the Constitution recognized that this Act continues to deserve special attention and should be a part of the Central legislation rather than moving it to the States, much as, I have no doubt that the States are very, very competent, they have very good officers, they have very good capability of designing the law, of preparing rules, regulations, guidelines, qualifications. They all are competent. But can you imagine each State in such a large country having separate laws and having separate guidelines and separate qualifications so much so that a person from Delhi then could not have possibly practised as a qualified engineer in Noida or in Gurugram where he may be staying and working in Delhi? Ironically, today it is suggested by many hon. MPs that we should revert back, and I even heard the word 'cooperative federalism' being raised, that our Government talks of cooperative federalism but we take away the right from the States. None of the rights has been taken away by today's law. Sir, everything that prevailed in 2007 when the UPA brought in the Amendment, every right of the State remains as it is. And the UPA was not only the Congress, it included the Trinamool Congress, it included other Members who are sitting here. The Members of the Trinamool Congress were a part of the UPA at that time, the Communists were a part of the UPA during a good part of that 10 year period.

Mr. Chairman, Sir, now, I come to the Amendment of 2007. That amendment took 35 years to be brought to fruition - 35 long years! And the House knows who was in Government for most part of the 35 years. I am quoting from the Minister of State in my Ministry; it was called DIPP at that time, Department for Industrial Promotion, in the Ministry of Commerce and Industry. Sir, I am quoting from the speech of the Minister of State in the Rajya Sabha in 2007. He mentioned that in 1972, a high powered Expert Committee was constituted, which was a technical committee. The Committee, in view of the rapid advances in technology related to the design, manufacture and use of boilers, which are a critical component in every manufacturing activity, recommended suitable amendments to bring the law in line with the requirements of changing times. It was a very good and noble objective. In

1972, a certain Government was in power. It was a very strong Government. In 1974, the recommendations of this Committee were circulated to all State Governments. We all know which party ran most of the State Governments in 1974. The Boilers Act, being a Concurrent subject as per the Constitution — which is why I referred to the Constitution — it had to have the approval of the State Governments.

Mr. Chairman, Sir, from 1974 to 1984, in ten years, including the period of Emergency, when there was no Opposition — all the Opposition leaders were in jail — even though they had all the writ to do what they liked, they ran the Parliament as they liked, they ran the States as they liked, and they used to claim that Emergency brought in a lot of efficiency, the strong Government was able to run the Government better. They claimed that the Opposition was creating hurdles in the running of the Government, and that is why Emergency was brought in. But still, for ten years, they could not get the States to agree to the changes recommended by their own Central Government. In 1984, the recommendations had to be again circulated because in the interregnum there was not sufficient consensus. There were serious objections taken by the State Governments with respect to the then proposed amendments. In 1984, again, deliberations took place. A lot of material was received by the Government. Central Boilers Board and the State Governments gave ideas. But the Department of Industrial Policy and Promotion again considered what was required to be done. From 1984 to 1993, nine years! Again consultations were held. Finally, in November, 1993, a Cabinet note, incorporating some of the accepted suggestions, was moved. The Bill, therefore, to amend the Act, was reintroduced in the Rajya Sabha in May, 1994. Rajya Sabha referred it to the Parliamentary Standing Committee. Some off-the-cuff comments were also made about reference to the Standing Committee. I wish the Members had read the existing provisions and what we are proposing. They would have found that we have made no major changes. We have brought in the law almost in its current form but in a smarter version, well defined, well categorized, well converted into chapters and, therefore, it does not merit any reference to the Standing Committee. We do that when there is a substantive change in the law.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, he is contradicting himself. He said that he is bringing technically the same law. You are contradicting yourself.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I would come to that. As I said, in 1994, it was referred to the parliamentary Standing Committee. On 29th March, 1995, the Committee submitted its report and further modifications to the Indian Boilers (Amendment) Bill, 1994 were suggested which were accepted by the Cabinet by way of a Cabinet note. But, Mr. Chairman, Sir, it may be noted that in 1994, the Cabinet accepted the Bill with the modifications suggested by the Standing Committee. Which Party was in Government in 1994? Despite that, from 1994 onwards, they never brought it before the Parliament. After Cabinet's approval, they just sat on it and it was never brought before the Parliament for approval. It was only during the Monsoon Session of 2000 that the Bill was once again introduced in the Rajya Sabha. I think the whole House and the people of India know that in 2000 Shri Atal Bihari Vajpayeeji, whose 100th Anniversary we are going to celebrate from 25th December, was the Prime Minister; it was the NDA Government which was in power. He introduced it in the Rajya Sabha. Now look at the irony. विडम्बना देखिए, यह कानून कांग्रेस की सरकार के टाइम बना था। इसमें कई बदलाव अच्छे थे। ये खुद बदलावों को पार्लियामेंट में पास करने के लिए नहीं ला पाए। जब अटल जी की सरकार आई, तब अटल जी ने इस बिल को सदन के समक्ष रखा और दरखास्त की कि सभी पार्टी समर्थन दें। उनके मन में जरूर ऐसा ही रहा होगा कि जब यूपीए के, कांग्रेस के समय कैबिनेट ने अप्रूव किया है, उनकी पूरी पूर्ण बहुमत की या उस समय भी coalition थी, मैं उनकी सरकार द्वारा अप्रूव किया हुआ बिल सदन में ला रहा हूँ, तो स्वाभाविक है कि सभी समर्थन करेंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2000 में जो बिल कांग्रेस की coalition की कैबिनेट ने 1995 में अप्रूव किया था, उसको यूपीए ने ही अपोज़ किया और राज्य सभा में पास नहीं होने दिया। उसको डिस्कशन के लिए लाने नहीं दिया और आप विपक्ष में थे। चलिए, कांग्रेस ने नहीं आने दिया, कांग्रेस ने पास नहीं करने दिया।...(व्यवधान)...

श्री जयराम रमेश: अगर आप इतिहास देख रहे हैं, तो मैं भी जवाब दे सकता हूँ।...(व्यवधान)...

श्री पीयूष गोयल: तो आप जवाब दीजिए। आप जवाब जरूर देना।...(व्यवधान).... आप विडम्बना देखिए कि कांग्रेस ने पास किया हुआ कैबिनेट डिस्मिशन, प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सदन में लाते हैं, ...(व्यवधान).... और कांग्रेस उसका विरोध करती है, जिसके कारण यह पास नहीं हो सका।

श्री जयराम रमेश: आधार का विरोध किसने किया।...(व्यवधान)...

श्री पीयूष गोयल: यह बड़प्पन था और यह खुद के कानून के ऊपर इनकी क्या सोच है, वह दिखती है।...(व्यवधान).... यह अलग बात है, शायद इनको लगा होगा कि तब तो नरसिम्हा राव

जी की सरकार ने पास किया था। नरसिम्हा राव जी के साथ क्या व्यवहार हुआ, वह भी पूरे देश ने देख लिया। उस व्यवहार का नुकसान इस बिल को भुगतना पड़ गया, जिसके कारण शायद इस बिल को कांग्रेस ने सदन में पारित नहीं करने दिया और फिर यह बिल defer हो गया।

महोदय, 2004 में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार आई। अपने विवेक से 2007 में फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने इस बिल को सदन में पेश किया और जब इस बिल को सदन में पेश किया गया, तब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, एनडीए विपक्ष में था और 2007 में हमने इसको समर्थन देकर पास करवाया, क्योंकि हम उन लोगों में से नहीं हैं, जो अपनी सोच को बदलते हैं, चाहे इस तरफ बैठें या उस तरफ बैठें। ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश: आधार का विरोध किसने किया। ...**(व्यवधान)**...

श्री पीयूष गोयल: हमने 2007 के बिल को पारित किया। ...**(व्यवधान)**... मेरे पास 2007 की डिबेट के कुछ भाषण हैं, जो बड़े interesting हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं उन पर नहीं जाता हूं। सर, 2007 के भाषण अगर विपक्ष के कुछ सांसद पढ़ें, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि कैसे समय-समय के हिसाब से और हम किधर बैठे हैं, उसके हिसाब से कांग्रेस का मन भी बदलता है, कांग्रेस का काम करने का ढंग भी बदलता है, सोच भी बदलती है और देश के प्रति उनकी क्या सोच है, वह 2007 के समय देखी जा सकती है।

महोदय, 2007 में अच्छे प्रावधान बदले गए थे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि आज मैंने सदन में जो भाषण सुने, उनको सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने कहा, कमाल है! पहले खुद कुछ लाते हैं, फिर उसको सदन में लाने की हिम्मत नहीं है। यदि अटल जी लाते हैं, तो उसका विरोध करते हैं। विरोध करके जब खुद आते हैं, तो उसको सदन में लाते हैं, हमारे समर्थन से उसको पारित करते हैं, और फिर आज, जब हम उनके किए हुए काम को आगे बढ़ा रहे हैं, तब फिर से उस पर प्रश्न चिह्न खड़ा कर रहे हैं।

महोदय, 2007 के कानून में यह लाया गया था कि 'competent authority' होगी, 'competent persons' होंगे और 'inspecting authority' independent होगी। हमारे देश के जो सक्षम इंजीनियर हैं, independent experts हैं, इनको भी रजिस्टर किया जाएगा कि वे बॉयलर्स को इंस्पेक्ट करके सर्टिफाई कर सकें। यह कानून अटल जी लाए थे। आपने पास नहीं किया था, लेकिन जब आप लाए, तो हमने पास किया। हम तो वही आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज यह सवाल उठ रहा है कि सेफ्टी के साथ कंप्रोमाइज होगा। किसी माननीय सांसद ने प्रश्न उठाया कि यह कानून लाने से आप सेफ्टी को कंप्रोमाइज कर रहे हैं। कामगारों का क्या होगा, जनता का क्या होगा? डा. फौजिया खान मैडम, हमने तो उसमें कुछ बदला ही नहीं है। 2007 में आपकी पार्टी की सरकार में जो कानून आया था, हम तो उसी पर काम कर रहे हैं।

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): I raised concerns of sustainability.

श्री पीयूष गोयल: मैं उस पर भी आता हूँ। I will come on sustainability also.

श्री जयराम रमेश : आप और कितना बोलेंगे?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री किरन रिजिजू): आप जितना सुन सकते हैं, वे उतना बोलेंगे।

श्री सभापति: इसका मतलब तो यह हुआ कि एंडलेस हो गया। because I know the capacity of my friend. ...**(व्यवधान)**... नहीं, यह कहा गया है कि आपमें जितना सुनने की ताकत है, तब तक जारी रहेंगे, इसलिए आपकी ताकत तो मैं जानता हूँ। यह open-ended हो जाएगा।

श्री किरन रिजिजू: मैंने यह कहा है कि जितनी सुनने की क्षमता है, उतना बोलेंगे।

श्री पीयूष गोयल: फौजिया जी, माफ कीजिएगा। मैं देख रहा था की बहन नूर ने सेफ्टी का यह प्रश्न उठाया था। यह प्रावधान 2007 में लाया गया था। मैं समझता हूँ कि यह थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन बहुत अच्छा प्रावधान था, इसीलिए अटल जी भी लाए थे। यदि तभी पारित कर दिया होता, तो लोगों को 7 साल तक कम परेशानी झेलनी पड़ती, लेकिन चलिए, ठीक है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन 2007 में आ गया।

महोदय, बॉयलर की डेफिनेशन की बात है। यह 2007 में, उसी समय पर चेंज कर दी गई थी और बेबी बॉयलर, जो छोटे होते हैं, उनको इस इंडियन बॉयलर एक्ट से निकाल दिया गया। एक्सीडेंट की डेफिनेशन में भी पूरा सुधार किया गया कि अगर छोटे-मोटे हादसे होते हैं, किसी छोटे पिन होल में कोई गलती हो या कुछ और हो तो उसको नहीं माना जाएगा, उसको वियर एंड टियर के रूप में देखा जाएगा।

महोदय, टेक्नीकल एडवाइजर का भी प्रावधान था कि केंद्र में एक टेक्नीकल एडवाइजर हो। यह प्रावधान भी उसी समय लाया गया था, लेकिन आज पूछा जा रहा है कि राज्य की क्षमता में केंद्र सरकार अपने आप को क्यों घुसा रही है। इसको हम नहीं लाए हैं, क्योंकि 2007 में टेक्नीकल एडवाइजर आ गया था और वह सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटी था। ये सब बॉयलर एक्ट के फंक्शंस को पूरा करने के लिए हैं।

सभापति महोदय, सेंट्रल बॉयलर्स बोर्ड भी उसी समय बना दिया गया था। उसमें हर राज्य के प्रतिनिधि हैं। उसमें प्रोफेशनल्स को भी डाला गया है। उस समय तो सिर्फ 15 प्रोफेशनल्स के लिए प्रावधान रखा गया था, लेकिन हमने अभी ईक्वल कर दिया है। जितने स्टेट्स के होंगे, उतने ही ईक्वल मैम्बर्स, एक्सपर्ट्स भी आ सकते हैं। ये प्रोविजंस तभी बन गए थे। Inspection during manufacture, erection or repairs की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए बन गए थे। इसके साथ ही साथ periodicity of inspection को बदला था, सरल किया था, हर 12 महीने के बदले उसे 3 या 4 बार renew करने का प्रावधान भी लाया गया था। Qualification or experience of Chief

Inspector, Deputy Chief Inspector and Inspector के Central Government निर्धारित करेगी, जिससे देश में uniform qualification होगी।

5.00 P.M.

सर, इसे हम नहीं लाए हैं, बल्कि 2007 में ही आ चुका था। आज कहा जा रहा है कि यह स्टेट्स के ऊपर प्रहार है, हम स्टेट्स की पावर पर अटैक कर रहे हैं, स्टेट्स की क्षमता पर डाउट कर रहे हैं! यह तो 2007 में ही हो गया था और तब आपकी सरकार थी। इसके साथ-ही-साथ, यह कहा गया कि अपील सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों करनी है, लोकल इंस्पेक्टर को क्यों नहीं करनी है? यह इसलिए, क्योंकि अगर उस इंस्पेक्टर ने कुछ गलत किया है और इंडस्ट्री वाला उसी के पास अपील के लिए जाएगा, तो उसे न्याय नहीं मिल पाएगा। यह प्रावधान कब आया? इसे हम तो नहीं लाए हैं। इसे भी 2007 में आप ही लाए थे कि अपील होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, लोकल गवर्नमेंट में अपील नहीं होगी। इसे भी हमने ज्यों का त्यों रखा है, कोई बदलाव नहीं किया है। मुझ पर और हमारी सरकार पर आरोप लगाया गया कि देखिए, हम कितने बेरहम हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के टेक्निकल एडवाइजर ने कोई निर्णय लिया और उससे कोई असंतुष्ट है, तो उसे जबरन रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई और रिकोर्स नहीं है, लॉ के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने का रिकोर्स नहीं है। इसे लेकर भी अभी-अभी मेरी आलोचना की गई कि अपील टू चीफ इंस्पेक्टर का भी प्रावधान था। जो यह पावर है कि एक बार टेक्निकल एडवाइजर ने अपना निर्णय दे दिया, उसके बाद आप फिर कानूनी दाव-पेंच नहीं कर सकते हैं, यह फाइनल होगा, इसे हम नहीं लाए थे। [Order of the Central Government under Sections 20 and 20 A, or of the Chief Inspector, or of a Deputy Chief Inspector, or of an Inspector, shall be final and shall not be called in question in any court.] सभापति महोदय, यह हमारी सरकार के आने से पहले का प्रावधान है। यह प्रावधान 1960 में लाया गया था। 1960 में तो हमारी दूर-दूर तक कोई सरकार नहीं थी, हमारी पार्टी का तो जन्म भी नहीं हुआ था। 1960 में यह प्रावधान लाया गया। स्वाभाविक रूप से, कांग्रेस को उस समय लगा होगा कि केंद्र सरकार के डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की भी इतनी पावर होनी चाहिए कि उसके ऊपर आप किसी कोर्ट में न्याय के लिए नहीं जा सकें। अब हमें कहा जा रहा है कि आप हमसे राइट टू अपील क्यों छीन रहे हैं? मुझे लगता है कि इस सबसे इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि शायद या तो आज का बिल किसी ने पढ़ा नहीं या किसी को लगा कि अब समय बदल गया है, मोदी जी की सरकार है, तो हरेक चीज़ को कोर्ट में जाना चाहिए, अड़चनें डालनी चाहिए, जिससे निवेश को तकलीफ हो, देश के औद्योगिक विकास को तकलीफ हो, व्यापारियों को तकलीफ हो। भारत में

निवेश को रोकने का, भारत में औद्योगिक प्रगति को रोकने का हर संभव कदम एक सेक्शन आफ सोसायटी और कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार देखने को मिलता है। कैसे मोदी सरकार को फेल करें, कैसे मोदी जी के काम में अड़चनें डालें, जब वे व्यापार या उद्योग करना सरल करते हैं, तब उनकी आलोचना कैसे करें, कैसे असत्य फैलाओ, कैसे असत्य आरोप लगाओ! स्वयं की सरकारें किसी के साथ रोज साठगांठ करती हैं, लेकिन आरोप लगाओ केंद्र सरकार के ऊपर! किसी की सरकारें रोज भ्रष्टाचार में लिप्त रहती हैं और रोज उनके काले कारनामे बाहर आते हैं, लेकिन केंद्र सरकार पर असत्य आरोप लगाकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करो! एक प्रकार से यह एक टारगेटेड एफर्ट है। सभापति महोदय, सिर्फ मोदी सरकार को फेल करने की नहीं, बल्कि देश को फेल करने की कोशिश देखने को मिलती है। मेरा अनुरोध रहेगा कि जिन-जिन माननीय सांसदों ने इस प्रकार के सवाल उठाए हैं, वे थोड़ा introspect करें।

माननीय नीरज डांगी जी ने कहा कि एमएसएमईज का क्या होगा, अगर उनको decriminalize कर दिया, तो लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। एमएसएमईज के लिए ही यह प्रावधान लाया जा रहा है। बड़े लोगों के पास तो कानून के दायरे में बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं और वे अच्छे तरीके से रह सकते हैं। छोटी-मोटी गलतियां छोटे व्यापार और छोटे उद्योग चलाने वाले लोगों से हो जाती हैं और फिर उनको अफसरशाही तंग करती है। इसीलिए छोटी-मोटी गलतियों के लिए उन्हें कोई तंग न करे, जेल का डर न दिखाए, अफसरशाही हावी न हो, उसके लिए इसको decriminalization करना आवश्यक लगता है। दूसरा, हम यह बिल कोई जल्दबाजी में नहीं लाए हैं। पुराना कॉलोनियल कानून था और वह बड़ा ही haphazard हो गया था। वह बहुत पुराना था, उसमें कई बार संशोधन से अलग-अलग इधर-उधर के प्रावधान भी थे, तो इसको अब एक सिस्टमैटिक रूप दिया गया है। इसको चैप्टरवाइज डिवाइड किया गया है और एक-एक चैप्टर के अंतर्गत उसके जो प्रावधान हैं, उनके सिस्टमैटिक होने के कारण लोगों को समझना भी आसान होगा।

दूसरा, आपने कुछ अंतरराष्ट्रीय देशों की भी बातें कहीं कि वहां occupational health and safety में यह कानून आता है। मुझे लगता है कि अलग-अलग देश अलग-अलग प्रकार से अपने कानून चलाते हैं। यह कानून हम तो लाए नहीं हैं, इसका प्रावधान तो कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है और पहले से चला रहा है। मुझे लगता है कि आपको ऑब्जेक्शन तो अपनी पार्टी के राज के समय करना चाहिए था। अगर आप यह प्रश्न उठा रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं से यह प्रश्न उठा रहे हो और उनके ऊपर संदेह कर रहे हो।

आपने Decentralizing to State Governments की बात भी कही where State notifies the regulations. स्टेट को आज भी पूरी स्वायत्तता है, लेकिन regulations have to be

synchronized across the country. उसको सिंक्रोनाइज करने का काम यह बॉयलर्स एक्ट करता है। आपने कहा कि पेनल्टी कम है। इसमें पेनल्टी इसलिए कम रखी गई है, ताकि छोटे लोगों को जो धमकी दी जाती है कि तुम्हारे को बहुत बड़ी पेनल्टी लग जाएगी, 10 लाख, 20 लाख की पेनल्टी लगा देंगे, तो इस डर के कारण कहीं उनसे गलत व्यवहार न हो जाए। इसमें कम पेनल्टी है और अगर लोग गलती करेंगे, तो लोग पेनल्टी देकर सुधर जाएंगे। यह मोदी जी का विश्वास है कि जो लोग व्यापार करते हैं, उद्योग चलाते हैं, वे मूलतः ईमानदार होते हैं। हम उनकी ईमानदारी की कद्र करते हैं और उनकी ईमानदारी पर हमें पूरा विश्वास है।

मैंने कोर्ट्स की अपील का तो जवाब दे दिया है, जिसके बारे में तीन-चार सांसदों ने पूछा था। Inspection of premises or self-certification इसलिए रखा गया है, क्योंकि अब देश में बहुत थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर्स अवेलेबल हैं और इससे थोड़ा नियंत्रण रहे। कभी-कभी कोई चीज़ जो सेल्फ-इंस्पेक्शन में रह जाती है, तो इसमें यह अच्छा रहेगा कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्ट करे। अब competition इतना बढ़ गया है कि अब खर्चा भी ज्यादा नहीं होता है।

सर, माफ कीजिए थोड़ा digress करता हूं। मैं भी 90s में फैक्ट्री चलाता था और 90s में किसकी सरकार थी, यह भी सबको पता है। मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी इस बात का जिक्र किया। मेरी फैक्ट्री में भी बॉयलर था और उसमें well-known food shop के इंस्पेक्शन के लिए उस समय हमें केंद्र सरकार के पास ही आना पड़ता था। उस समय third party inspection, competent authorities कोई नहीं थे। हम धक्के खाते रहे, लेकिन अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती थी कि इंस्पेक्टर आकर देखें।

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, मैं उस समय केंद्र में मंत्री था, आप मेरे पास आते। ...**(व्यवधान)**...

श्री पीयूष गोयल: सभापति जी, आपको तो समझ में आ गया कि कितनी बड़ी भूल हो रही थी और आपने अपनी गलती सुधार ली, लेकिन अब हम बाकी कानूनों में सुधार कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... किसी ने कहा कि इसमें टाइम लिमिट क्यों नहीं है? इसमें टाइम लिमिट की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी, क्योंकि अब इतने ज्यादा थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर्स अवेलेबल हैं कि अपने आप ही टाइम लिमिट प्रोवाइड हो जाता है। मुझे 90s में जो तकलीफ झेलनी पड़ी थी कि एक ही टेक्निकल एडवाइजर था और इसका वेरी फनी पार्ट यह था कि उसका नाम भी गोयल ही था, जो तब टेक्निकल एडवाइजर और चीफ बॉयलर इंस्पेक्टर था। मुझे मुम्बई से आना पड़ा, तरले करने पड़े। मैं और नहीं बताऊंगा कि क्या करना पड़ा।

MR. CHAIRMAN: It must be a coincidence. There is nothing funny about it. Coincidentally, he was also Goyal.

श्री पीयूष गोयल: फिर बड़ी मुश्किल से वे मुम्बई गए और मेरी फैक्टरी में inspect करके उसको लगाया। मैं बता रहा हूँ कि इन सब परेशानियों से मुक्त करने का काम इस कानून के बदलाव से किया गया है। मुझे लगता है कि सबको इसका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन जिस प्रकार के सवाल उठाए गए, उससे मुझे तो हैरानी हो रही है।

मुझे लगता है कि इसके अलावा किसी और बात में कोई दम नहीं था। Law का प्रश्न भी हो गया। तमिलनाडु के एक माननीय सांसद, सेल्वरासू साहब ने कहा कि Tamil Nadu has rules for boiler safety and that it has a robust framework. We welcome that as long as they are within the guidelines framed nationally. We welcome each State to liberalise their rules. In fact, some States have even said that they have done away with this requirement. They have the confidence कि जो फैक्टरी लगा रहा है, वह उसको अच्छे तरीके से चलाएगा। आप अपने-अपने स्टेट्स को कह भी सकते हैं कि वे visit करके इसको और liberalise करें, हम उसका welcome करेंगे।

माननीय सभापति जी, ये ही मोटे-मोटे विषय उठे थे। मुझे लगा कि इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि इन सब विषयों में कोई दम नहीं है और जब देखें, तो सीधी उँगली आपके पास ही point करती है। इसलिए अच्छा रहेगा कि हम सर्वसम्मति से इसको पारित करें और जो देश के व्यापारी और उद्योग जगत के लोग हैं, उनको एक अच्छा संदेश दें।

MR. CHAIRMAN: Excellent! Now, the question is:

“That the Bill to provide for the regulation of boilers, safety of life and property of persons from the danger of explosions of steam-boilers and for uniformity in registration and inspection during manufacture, erection and use of boilers in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 3, there is one Amendment (No.11) by Dr. Fauzia Khan. Are you moving the Amendment?

DR. FAUZIA KHAN: Yes, Sir.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I would like to mention it, through you, to the hon. Member कि अलग-अलग कानून का अलग-अलग दायरा होता है। Safety के दायरे में Indian Boilers Act बनाया गया है। पर्यावरण के लिए, environment के लिए Ministry of Environment, Forest and Climate Change का दायरा है। वह अलग-अलग कानून बनाती है। Efficiency की जो भी requirements हैं ...

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, she is moving the Amendment.

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I move:

11. That at page 4, *after* line 14, the following be *inserted*, namely, —

“(via) an environmental compliance expert to ensure alignment of boiler regulations with environmental standards and sustainability practices;”.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 5, there is one Amendment (No.10) by Dr. V. Sivadasan. Are you moving the Amendment?

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I move:

10. That at page 5, lines 14 to 16, be *deleted*.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 5 was added to the Bill.

Clauses 6 and 7 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 8, there is one Amendment (No.12) by Dr. Fauzia Khan. Are you moving the Amendment?

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I move:

12. That at page 6, *after* line 29, the following be *inserted*, namely, —

“(c) is satisfied that the boiler or boiler components, or both, lack emission control devices required to meet the emission standards prescribed by the Central Pollution Control Board (CPCB), it shall refuse to grant such certificate until the required emission control devices are installed and verified.”

The question was put and the motion was negatived.

Clause 8 was added to the Bill.

Clauses 9 to 13 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 14, there is one Amendment (No.7) by Shri Piyush Goyal. Are you moving?

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I move:

7. That at page 9, line 40, *for* the words “is in accordance”, the words, “in accordance”, be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 14, as amended, was added to the Bill.

Clauses 15 to 24 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 25, there are two Amendments (Nos. 1 and 2) by Dr. John Brittas. He is not present. Amendments not moved.

Clause 25 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 26, there are four Amendments (Nos. 3 to 6) by Dr. John Brittas. He is not present. Amendments not moved.

Clause 26 was added to the Bill.

Clause 27 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 28, there is one Amendment (No. 13) by Dr. Fauzia Khan. Are you moving?

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I move:

13. That at page 12, *for* lines 46 to 49, the following be *substituted*, namely, —
 “shall be liable to penalty which may extend to five lakh rupees and in the case of a continuing contravention, with an additional penalty which may extend to ten thousand rupees for each day after the first day during which the contravention continues.”.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 28 was added to the Bill.

Clauses 29 to 39 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 40, there is one Amendment (No. 14) by Dr. Fauzia Khan. Are you moving?

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I move:

14. That at page 17, *after* line 3, the following be *inserted*, namely, —
 “(zi)the conditions to incentivize the adoption of energy-efficient boilers and renewable energy integration through tax credits, subsidies, or reduced excise duties for industries meeting specified energy efficiency standards.”

The question was put and the motion was negatived.

Clause 40 was added to the Bill.

Clauses 41 to 44 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 45, there are two Amendments; Amendments (Nos. 8 and 9) by Shri Piyush Goyal. Are you moving?

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I move:

8. That at page 18, lines 27 to 31, be *deleted*.

9. That at page 18, line 32, *for* the word and bracket, “(k)”, the word and bracket “(i)”, be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 45, as amended, was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Shri Piyush Goyal to move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I move:

“That the Bill, as amended, be passed.”

The motion was adopted.

SPECIAL MENTIONS

MR. CHAIRMAN: Now, Special Mentions. Dr. Ashok Kumar Mittal — Concern over increasing contempt cases in the country.

Concern over increasing contempt cases in the country

डा. अशोक कुमार मित्तल (पंजाब): महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से न्यायिक प्रणाली में सरकार के विरुद्ध लंबित अवमानना (Contempt) मामलों और उनके पालन की कमी पर विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि न्यायालय के आदेशों का contempt न केवल Rule of Law को कमजोर करता है, बल्कि यह उस व्यक्ति के साथ भी अन्याय है, जो वर्षों तक न्याय के लिए लड़ता है और इसमें वह शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से भी परेशान होता है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) पीठासीन हुए।]

जब न्यायालय उसके पक्ष में फैसला देता है, तो उसके implementation के लिए वह कोर्ट और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता है और अंत में उसे फिर से न्यायालय में जाकर सरकार पर contempt case करना पड़ता है।